विवि.एमआरजी.आरईसी.02/00-00-011/2023-24 1 अप्रैल 2023

मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2023

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 56 के साथ पठित 35ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद रिज़र्व बैंक कहा जाएगा), इस बात से आश्वस्त होकर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा इसमें निर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I: प्रारंभिक

1 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(ए) इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2023 कहा जाएगा।

(बी) ये निदेश 01 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे।

2 प्रयोज्यता

यह निदेश प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) पर लागू होंगे।

3 परिभाषाएं

3.1 इन मास्टर निदेशों में**,** जब तक कि संदर्भ में अन्यथा न कहा गया हो:

(ए) "स्वीकृत प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(ए) में परिभाषित है।

(बी) "बिक्री के लिए उपलब्ध" (एएफ़एस) से तात्पर्य बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो की उस श्रेणी से है, जो एचटीएम या एचएफ़टी श्रेणी में नहीं आते हैं।

(सी) **"रखाव लागत"** जो शून्य-कूपन भुनाया गया लिखत जैसे ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र और शून्य-कूपन बॉण्ड में अधिग्रहण के समय प्रचलित दर पर अर्जित छूट के लिए समायोजित अधिग्रहण लागत है।

(डी) **"जमा प्रमाणपत्र"** का अर्थ वही होगा जो एफएमआरडी.डीआईआरडी.03/14.01.003/2021-22 द्वारा दिनांक 4 जून, 2021 को जारी समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा प्रमाणपत्र) निदेश, 2021 में परिभाषित है।

(ई) इन निदेशों के प्रयोजन के लिए **"कॉर्पोरेट बॉण्ड"** से तात्पर्य ऐसे ऋण प्रतिभूतियों से है जो ऋणग्रस्तता का निर्माण या स्वीकार करते हैं जिसमें (i) डिबेंचर (ii) बॉण्ड और ऐसी अन्य प्रतिभूतियों सहित, किसी कंपनी, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान (एमएफआई) या एक केंद्रीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम के तहत गठित निकाय, चाहे कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय की आस्तियों पर चार्ज हो या न हो, और इसमें एक सतत प्रकृति के परिवर्तनीय लिखत और बेमीयादी लिखत शामिल हैं, लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां या ऐसे अन्य व्यक्ति जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, प्रतिभूति रसीदें और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत शामिल नहीं हैं।

(एफ) **"वाणिज्यिक पत्र"** का अर्थ वही होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित 10 अगस्त 2017 को एफएमआरडी.डीआईआरडी.2/14.01.002/2017-18 द्वारा जारी रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक पत्र निदेश, 2017 में परिभाषित किया गया है।

(जी) रेटेड प्रतिभूति का निर्धारण करने के उद्देश्य से **"वर्तमान या वैध रेटिंग"** का अर्थ भारत में एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग है, जो सेबी के तहत पंजीकृत है और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:

i. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग पत्र और रेटिंग का तर्क अधिमानतः प्रस्ताव से संबंधित दस्तावेज़ का हिस्सा होगा।
ii. क्रेडिट रेटिंग पत्र एक महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और रेटिंग का तर्काधार निर्गम शुरु करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
iii. द्वितीयक बाजार अधिग्रहण के मामले में, निर्गम की क्रेडिट रेटिंग प्रभावी होगी और संबंधित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन से इसकी पुष्टि की जाएगी।

(एच) **"डेरिवेटिव"** का वही अर्थ होगा जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45यू(ए) में दिया गया है।

(आई) **"एक्सचेंज"** का अर्थ है "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" और इसका वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) में परिभाषित है।

(जे) **"सरकारी प्रतिभूति"** का वही अर्थ होगा जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 2(एफ़) में निर्दिष्ट किया गया है।

(के) **"परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम)** से यह तात्पर्य परिपक्वता तक प्रतिभूतियों को रखने के इरादे से बैंकों द्वारा बनाए गए निवेश पोर्टफोलियो की श्रेणी है।

(एल) **"हेल्ड फॉर ट्रेडिंग" (एचएफटी)** का अर्थ है अल्पकालिक मूल्य/ ब्याज दर उतार चढ़ाव का लाभ उठाकर प्रतिभूतियों में व्यापार करने के इरादे से बैंकों द्वारा बनाए गए निवेश पोर्टफोलियो की श्रेणी।

(एम) **"सूचीबद्ध प्रतिभूति"** एक प्रतिभूति है जो एक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है।

(एन) **"प्राथमिक सहकारी बैंकों"** का वही अर्थ होगा जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 की उपधारा 1 के खंड (सीसीवी) के तहत परिभाषित है (इसके बाद 'शहरी सहकारी बैंक' या 'यूसीबी' के रूप में संदर्भित')।

(ओ) **"उद्धृत प्रतिभूति"** एक ऐसी प्रतिभूति है जिसके लिए बाजार मूल्य आरबीआई/ सेबी द्वारा अधिकृत स्टॉक एक्सचेंजों/ रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म/ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

(पी) **"रेटेड प्रतिभूति"** से तात्पर्य एक ऐसी प्रतिभूति से है जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा विस्तृत क्रेडिट रेटिंग अभ्यास के अधीन है, जो सेबी के साथ पंजीकृत हो और जिसकी वर्तमान या वैध क्रेडिट रेटिंग हो।

(क्यू) **"पुनर्गठन"** का अर्थ है स्ट्रिपिंग के विरुद्ध प्रक्रिया, जहां मूल प्रतिभूति वापस पाने के लिए अलग-अलग स्ट्रिप्स यानी कूपन स्ट्रिप्स और प्रिंसिपल स्ट्रिप्स दोनों को फिर से एकत्रित किया जाता है, जैसा कि दिनांक 16 अक्टूबर 2009 को सरकारी प्रतिभूति- प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन का पृथक व्यापार (स्ट्रिप्स) विषय पर जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र आईडीएमडी.1762/2009-10 में परिभाषित किया गया है।

(आर) **"रेपो" और "रिवर्स रेपो"** का वही अर्थ होगा जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45यू में परिभाषित है। इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए, 'रेपो' शब्द का प्रयोग 'रेपो' और 'रिवर्स रेपो' दोनों के लिए किया जाता है। उपयुक्त अर्थ प्रासंगिक रूप से लागू होता है।

(एस) **"प्रतिभूतियों"** का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(एच) में परिभाषित है।

(टी) **"प्रतिभूति प्राप्तियां"** का वही अर्थ होगा जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(जेडजी) में परिभाषित है।

(यू) **"प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत"** का अर्थ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(एच)(आईई) में निर्दिष्ट प्रकृति की प्रतिभूतियां हैं।

(वी) **"एसजीएल बाउंसिंग"** का अर्थ होगा, क्रेता के चालू खाते में निधियों की अपर्याप्तता या भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ धारित विक्रेता के एसजीएल/सीएसजीएल खाते में प्रतिभूतियों की अपर्याप्तता के कारण सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के निपटान में विफलता।

(डब्ल्यू) **"अधिविक्रय"** का वही अर्थ होगा जो 25 जुलाई 2018 को अधिविक्रय (रिज़र्व बैंक)

निदेश, 2018 पर जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र सं.एफएमआरडी.डीआईआरडी.06/सीजीएम (टीआरएस)-2018 में परिभाषित है।

(एक्स) **"सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियां"** का वही अर्थ होगा जो दिनांक 20 जुलाई 2021 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश - 2021 सं.डीओआर.सं.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2021-22 में परिभाषित है।

(वाई) **"स्ट्रिप्स"** (प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन का पृथक व्यापार) का अर्थ है भिन्न, ऐसी अलग प्रतिभूतियां जो सरकारी प्रतिभूतियों के नकदी प्रवाह से बनाई गई हैं और इसमें (i) कूपन स्ट्रिप्स शामिल होंगे, जहां स्ट्रिप का एकल नकदी प्रवाह मूल प्रतिभूति के एक कूपन प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है; और (ii) प्रिंसिपल स्ट्रिप, जहां स्ट्रिप का एकल नकदी प्रवाह मूल प्रतिभूति के मूलधन नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि दिनांक 16 अक्टूबर 2009 को सरकारी प्रतिभूतियां - प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन का पृथक व्यापार (स्ट्रिप्स) विषय पर जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र आईडीएमडी.1762/2009-10 में परिभाषित किया गया है।

(जेड़) **"स्ट्रिपिंग"** का अर्थ है एक नियमित सरकारी प्रतिभूति से जुड़े नकदी प्रवाह को अलग करने की प्रक्रिया अर्थात, प्रत्येक बकाया अर्ध-वार्षिक कूपन भुगतान और अंतिम मूलधन का अलग-अलग प्रतिभूतियों में भुगतान, जैसा कि दिनांक 16 अक्टूबर 2009 को सरकारी प्रतिभूति - प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन का पृथक व्यापार (स्ट्रिप्स) विषय पर जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र आईडीएमडी.1762/2009-10 में परिभाषित किया गया है।

(एए) **"अनरेटेड प्रतिभूति"** ऐसी प्रतिभूतियां हैं जिनकी सेबी के साथ पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा वर्तमान या वैध रेटिंग नहीं है।

(बीबी) **"जब, जैसा और यदि जारी किया गया"** (आमतौर पर 'जब जारी' (डब्ल्यूआई) के रूप में जाना जाता है) प्रतिभूति का अर्थ एक प्रतिभूति है, जैसा कि 24 जुलाई 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित जब जारी लेनदेन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 सं एफएमआरडी.डीआईआरडी.04/सीजीएम(टीआरएस) के अनुसार होगी।

3.2 यदि अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, तो अन्य सभी अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, **1934,** और इसके तहत बनाए गए नियम/ विनियम, अन्य किसी सांविधिक संशोधन या पुन:अधिनियमन, जो भी लागू हो, में दिए गए हो, अथवा जैसा वाणिज्यिक वार्तालाप में प्रयुक्त होता हो।

अध्याय II: सामान्य दिशानिर्देश

4.1 निवेश नीति

ए) यूसीबी निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्यापक निवेश नीति अपनाएंगे। निवेश नीति व्यवसाय के आकार, जटिलता, जोखिम प्रबंधन क्षमताओं, मानव संसाधन और आईटी अवसंरचना, और यूसीबी के लिए प्रासंगिक ऐसे अन्य कारकों के अनुसार होगी।

बी) निवेश नीति में कम से कम शामिल होंगे:

i. विभिन्न विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों और बैंक की अपनी आंतरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निवेश लेनदेन करते समय निवेश मानदंड और उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना चाहिए।

ii. प्रतिभूतियां जिसमें निवेश किया जा सकता है।

iii. डेरिवेटिव्स जिनमें प्राधिकृत डीलर लाइसेंस रखने वाले शहरी सहकारी बैंक, जहां भी अनुमति हो, लेन-देन कर सकते हैं।

iv. डील संपन्न करने वाले प्राधिकारी।

v. उपयुक्त प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने और डील करने की प्रक्रिया।

vi. अपने स्वयं के निवेश खाते में रखी जाने वाली प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति की मात्रा (अधिकतम सीमा) और गुणवत्ता सहित विभिन्न विवेकपूर्ण जोखिम सीमाओं का पालन।

vii. आंतरिक नियंत्रण तंत्र, लेखा मानकों, लेखापरीक्षा, समीक्षा, दलालों के माध्यम से डील, विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए प्रणाली, पोर्टफोलियो के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश और रिपोर्टिंग प्रणाली के संबंध में नीति।

viii. गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में किए जाने वाले निवेश की प्रकृति और सीमा, जोखिम मापदंडों को पकड़ने और विश्लेषण करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली, निवेश को रखने/विघटित करने के लिए हानि-रोध सीमा और सुधारात्मक उपाय।

ix. गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली जिसमें प्रवेश स्तर की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग/गुणवत्ता मानक और उद्योग-वार, परिपक्वता-वार, अवधि-वार, जारीकर्ता-वार आदि, संकेंद्रण और तरलता जोखिम के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की सीमा शामिल होंगे।

सी) निवेश नीति की कम से कम वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

4.2 साधारण अनुदेश

ए) शहरी सहकारी बैंक प्रतिभूतियों में सभी लेन-देन केवल अपने निवेश खाते पर ही करेंगे। शहरी सहकारी बैंक पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना (पीएमएस) ग्राहकों की ओर से उनकी प्रत्ययी

क्षमता में और अन्य ग्राहकों की ओर से, या तो उनके निवेशों के संरक्षक के रूप में या विशुद्ध रूप से उनके एजेंटों के रूप में कोई लेनदेन नहीं करेंगे।

बी) निवेश प्रस्ताव किसी भी ऋण प्रस्ताव के समान ही ऋण जोखिम विश्लेषण के अधीन होंगे।

सी) शहरी सहकारी बैंक निवेश संबंधी निर्णय लेते समय साख सूचना कंपनियों से प्राप्त चूककर्ताओं की सूची का उल्लेख करेंगे।

डी) रेटेड इश्यू के संबंध में भी यूसीबी अपना आंतरिक क्रेडिट विश्लेषण और क्रेडिट रेटिंग तैयार करेंगे और पूरी तरह से बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग पर निर्भर नहीं होंगे। गैर-उधारकर्ता ग्राहकों द्वारा जारी किए गए उपकरणों में निवेश के संबंध में मूल्यांकन अधिक कठोर होगा।

ई) यूसीबी मजबूत आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली सुनिश्चित करेंगे जिसमें जारीकर्ता/ निर्गम के रेटिंग प्रवासन की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जारीकर्ता की वित्तीय स्थिति की नियमित (त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक) ट्रैकिंग की एक प्रणाली का निर्माण भी शामिल है।

एफ) यूसीबी संबंधित विनियामक द्वारा जारी अधिसूचनाओं/निदेशों/दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जहां भी अनुमति हो, प्रतिभूतियों और डेरिवेटिव में लेनदेन का निपटान करेगा।

जी) शहरी सहकारी बैंक प्रतिभूतियों में अपना निवेश केवल अभौतिक रूप में रखेंगे।

एच) जब तक इन निदेशों में विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है, यूसीबी किसी भी प्रतिभूति में अधिविक्रीत स्थिति नहीं रखेंगे।

अध्याय III: बैंकों द्वारा निवेश का वर्गीकरण

5. निवेश का वर्गीकरण

(ए) यूसीबी अपने सम्पूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (एसएलआर प्रतिभूति और गैर-एसएलआर प्रतिभूति सहित) को तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे, यथा 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस) और 'ट्रेडिंग के लिए धारित' (एचएफटी)।

(बी) यूसीबी द्वारा निवेश की श्रेणी अधिग्रहण के समय तय की जाएगी और इसे संबंधित निवेश दस्तावेज/प्रस्ताव में रिकॉर्ड किया जाएगा।

6. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

(ए) बैंकों द्वारा उन्हें परिपक्वता तक रखने के इरादे से अधिग्रहित प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

(बी) एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश, बैंक के कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(सी) निम्नलिखित प्रतिभूतियों में निवेश एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत शामिल किये जाने के लिए पात्र हैं:

i. अनुमत सीमा तक एसएलआर प्रतिभूतियां।
ii. 18 सितंबर 2007 की स्थिति के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत शामिल की गई गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां।
iii. इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों में लगी कंपनियों द्वारा जारी दीर्घकालिक बांड।
    बशर्ते कि निवेश के समय ऐसे बांडों की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता सात वर्ष की होगी।
    बशर्ते कि बैंक के पास इन निवेशों को एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत करना जारी रखने का विकल्प होगा, भले ही अवशिष्ट परिपक्वता सात साल से कम हो।

(डी) यूसीबी के पास एचटीएम श्रेणी के तहत अपने कुल निवेश के 25 प्रतिशत की सीमा को पार करने का विकल्प होगा, बशर्ते अतिरिक्त निवेश में यह शामिल हों:

i. एसएलआर प्रतिभूतियां। हालांकि, एचटीएम श्रेणी में धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियां दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को यूसीबी के एनडीटीएल के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीओ) के अंतर्गत यूसीबी द्वारा किए गए निवेश।

(ई) इस श्रेणी में निवेश की बिक्री पर अर्जित लाभ पहले लाभ और हानि खाते में लिया जाएगा, और उसके बाद 'आरक्षित पूंजी' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार विनियोजित राशि करों और सांविधिक भंडारों को हस्तांतरित की जाने वाली राशि के समायोजन के पश्चात निर्धारित होगी। बिक्री पर होनेवाली हानि को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाएगा।

7. ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

(ए) अल्पकालिक मूल्य/ब्याज दर परिवर्तनों का लाभ उठाकर व्यापार करने के उद्देश्य से अधिगृहीत प्रतिभूतियों को व्यापार के लिए धारित एचएफटी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। एचएफटी के तहत वर्गीकृत निवेश को 90 दिनों के भीतर बेचा जाएगा।

(बी) जो प्रतिभूतियां एचटीएम या एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती हैं, उन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध एएफएस के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

(सी) यूसीबी को एएफएस और एचएफटी के तहत निवेश होल्डिंग्स की सीमा के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी, जिसमें अभिप्राय, व्यापार रणनीतियां, जोखिम प्रबंधन क्षमताओं, कर नियोजन, जनशक्ति कौशल और पूंजीगत स्थिति के आधार को ध्यान में रखा जाएगा।

(डी) एचएफटी और एएफएस श्रेणियों में निवेश की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाएगा।

अध्याय IV: बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो में विभिन्न श्रेणियों के बीच अंतरण

8. एचटीएम में/ से अंतरण

(ए) यूसीबी को वर्ष में एक बार निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम में/से निवेश को अंतरित करने की स्वतंत्रता होगी।

बशर्ते कि इस प्रकार का अंतरण लेखांकन वर्ष के आरंभ में की जाएगी।

(बी) **आगे बशर्ते कि** उस लेखा वर्ष के शेष भाग के दौरान एचटीएम श्रेणी में/से अतिरिक्त स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण बही मूल्य या बाजार मूल्य के निम्नतर पर किया जाएगा।

बशर्ते कि जहां अंतरण के समय बाजार मूल्य बही मूल्य से अधिक है, वृद्धि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, और प्रतिभूति को बही मूल्य पर अंतरित कर दिया जाएगा।

बशर्ते कि यह भी प्रावधान है कि जिन मामलों में बाजार मूल्य, बही मूल्य से कम है, प्रतिभूति के बदले धारित मूल्यह्रास के प्रावधान (यदि कोई हो, हस्तांतरण की तारीख पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान सहित) को बही मूल्य से कम करके इसे बाजार मूल्य के साथ समायोजित किया जाएगा और प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाएगा।

(सी) एचटीएम/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

i. मूल रूप से छूट के साथ एचटीएम श्रेणी के तहत धारित प्रतिभूति को अधिग्रहण मूल्य/ बही मूल्य पर एएफएस/ एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाएगा।
ii. मूल रूप से प्रीमियम पर एचटीएम श्रेणी के तहत धारित प्रतिभूति को परिशोधित लागत पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाएगा।
iii. प्रतिभूतियों का तत्पश्चात पुनर्मूल्यनिर्धारण किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अंतरण किया जाएगा और परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, प्रदान किया जाएगा।

नोट: उपर्युक्त (i) के संबंध में, बैंक एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों पर छूट प्राप्त नहीं करेंगे और ऐसी प्रतिभूतियां परिपक्वता तक अधिग्रहण लागत पर धारित की जाएंगी।

(डी) यूसीबी एचटीएम श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों की बिक्री नहीं करेंगे। हालांकि, यदि तरलता के दबाव के कारण यूसीबी को एचटीएम पोर्टफोलियो से प्रतिभूतियां बेचने की आवश्यकता होती है, तो वे ऐसा अपने निदेशक मंडल की अनुमति से करेंगे और ऐसी बिक्री के लिए औचित्य स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा।

(ई) एचटीएम श्रेणी को/से प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में, शहरी सहकारी बैंक समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 30 अगस्त 2021 के भारतीय रिजर्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध III.सी(3)(सी) में दिए गए अनुसार वित्तीय विवरणों के 'लेखों पर टिप्पणियां' में प्रकटीकरण करेंगे।

9. **एएफएस से एचएफटी अथवा इसके विपरीत (वाइस वर्सा) में स्थानांतरित करना**

(ए) शहरी सहकारी बैंकों के पास अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एएफएस श्रेणी से एचएफटी श्रेणी में स्थानांतरित करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

बशर्ते कि अत्यावश्यकता के मामले में, ऐसा स्थानांतरण बैंक के मुख्य कार्यकारी के अनुमोदन से किया जा सकता है, लेकिन निदेशक मंडल द्वारा इसकी पुष्टि की जानी आवश्यक है।

(बी) निवेश को एचएफटी श्रेणी से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि उपर्युक्त निषेध असाधारण परिस्थितियों में लागू नहीं होगा जहां बैंक संकुचित चलनिधि की स्थिति, अथवा अत्यधिक अस्थिरता, या बाजार के एकदिशात्मक होने के कारण 90 दिनों के भीतर प्रतिभूति बेचने की स्थिति में नहीं है।

बशर्ते कि इस प्रकार का स्थानांतरण निदेशक मंडल/एएलसीओ/निवेश समिति के अनुमोदन से ही किया जाएगा।

(सी) एएफएस से एचएफटी श्रेणी अथवा इसके विपरीत प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के मामले में, प्रतिभूतियों को हस्तांतरण की तिथि को पुनः मूल्य निर्धारण किए जाने की आवश्यकता नहीं है और संचित मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों, यदि कोई हो, को एचएफटी प्रतिभूतियों और इसके विपरीत अवमूल्यन के प्रावधानों को हस्तांतरित किया जाएगा।

अध्याय - V: निवेश का मूल्यांकन

10 मूल्यांकन मानक

(ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

i. एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को मार्क टू मार्केट (एमटीएम) की आवश्यकता नहीं है।

ii. अधिग्रहण लागत पर निवेश किया जाएगा बशर्ते कि यह प्रतिभूति के अंकित मूल्य से कम हो।

iii. यदि अधिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक है, तो अंकित मूल्य और अधिग्रहण लागत के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले प्रीमियम को परिपक्वता तक शेष अवधि में परिशोधित किया जाएगा।

टिप्पणी: संबंधित लेखा अवधि के दौरान परिशोधित राशि की सीमा तक प्रतिभूति का बही मूल्य घयाया जाना जारी रहेगा।

(बी) व्यापार के लिए धारित (एचएफ़टी) और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफ़एस)

i. एचएफटी श्रेणी में अलग-अलग प्रतिभूतियों को त्रैमासिक अथवा अधिक लगातार अंतराल पर बाजार में चिह्नित किया जाएगा।

ii. एएफएस श्रेणी में अलग-अलग प्रतिभूतियों को त्रैमासिक अथवा अधिक लगातार अंतराल पर बाजार में चिह्नित किया जाएगा।

iii. बाजार की मार्किंग के बाद व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बुक वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा।

iv. इस श्रेणी के अंतर्गत घरेलू प्रतिभूतियों और विदेशी निवेशों का मूल्यांकन प्रतिभूति-वार किया जाएगा और प्रत्येक वर्गीकरण, अर्थात ए) सरकारी प्रतिभूतियां, बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, सी) शेयर, डी) कार्पोरेट बॉण्ड और अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)) के लिए निवल मूल्यह्रास/निवेशों के मूल्यह्रास पर पहुंचने के उद्देश्य से मूल्यह्रास/वृद्धि को जोड़ा जाएगा। शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाएगा। शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

v. किसी एक वर्गीकरण में प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक शुद्ध मूल्यह्रास किसी अन्य वर्गीकरण में शुद्ध मूल्यवृद्धि के कारण कम नहीं किया जाएगा।

11 बाज़ार मूल्य

एएफएस और एचएफटी श्रेणियों में शामिल निवेशों के आवधिक मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए 'बाजार मूल्य' निम्नानुसार होगा:

11.1 उद्धृत प्रतिभूतियां

उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए 'बाजार मूल्य' आरबीआई के दिनांक 31 मार्च 2018 के एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/2017-18 के परिपत्र, जो समय-समय पर संशोधित किया गया है, के समन्वयन में वित्तीय बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्य होंगे। उन प्रतिभूतियों के लिए जिनकी कीमतें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती हैं, उद्धृत प्रतिभूति का बाजार मूल्य आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत स्टॉक एक्सचेंजों/रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म/ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड/कोट्स पर उपलब्ध के अनुसार और निश्चित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य के अनुसार होंगे।

11.2 गैर-उद्धृत एसएलआर प्रतिभूतियां

(ए) **केंद्र सरकार प्रतिभूतियां**

i. गैर-उद्धृत केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा रखी गई कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर किया जाएगा।

ii. ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

(बी) राज्य सरकार प्रतिभूतियां

i. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा निर्धारित कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर किया जाएगा।

(सी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

i. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए किया जाएगा, इसे एफबीआईएल द्वारा रखी गई समकक्ष परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक ऊपर चिह्नित किया जाएगा।

11.3 गैर-उद्धृत गैर एसएलआर प्रतिभूतियां

(ए) कॉर्पोरेट बॉण्ड

i. सभी डिबेंचरों/बॉण्डों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाएगा।

ii. डिबेंचर/बॉण्ड का मूल्यांकन एफबीआईएल/ एफआईएमएमडीए द्वारा निर्धारित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क-अप लागू करके किया जाएगा।

iii. लागू मार्क-अप क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा डिबेंचर/बॉण्ड के लिए निर्दिष्ट की गई रेटिंग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और निम्नलिखित के अधीन होगा:

i. रेटेड डिबेंचर/बॉण्ड के लिए मार्क अप समकक्ष परिपक्वता की भारत सरकार की प्रतिभूति पर लागू दर से कम से कम 50 आधार अंक अधिक होगा।

ii. गैर-रेटेड डिबेंचरों/बॉण्डों के लिए वाईटीएम के लिए उपयोग की जाने वाली दर रेटेड डिबेंचरों/समतुल्य परिपक्वता वाले बॉण्डों पर लागू दर से कम नहीं होगी।

बशर्ते कि बिना रेटिंग वाले डिबेंचरों/बॉण्डों के लिए मार्क-अप बैंक द्वारा वहन किए गए क्रेडिट जोखिम को उचित रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

iii. जहां डिबेंचर/बॉण्ड उद्धृत किए गए हैं और मूल्यांकन तिथि से 15 दिनों के भीतर लेनदेन किया गया है, वहां अपनाया गया मूल्य सेबी/आरबीआई द्वारा अधिकृत उस दर से अधिक नहीं होगा जिसे लेनदेन एक्सचेंजों/ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म/रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया गया है।

(बी) भारत सरकार द्वारा जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ[1]

i. विशेष प्रतिभूतियाँ, जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी की जाती हैं और जिनका एसएलआर दर्जा नहीं होता है, उनका मूल्यांकन भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर संबंधित प्रतिफल से 25 बीपीएस के विस्तार पर किया जाएगा।

(सी) म्यूचुअल फंड इकाइयाँ

i. गैर-उद्धृत एमएफ इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संबंध में एमएफ द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

ii. लॉक-इन अवधि अथवा किसी अन्य फंड के साथ फंड के मामले में, जहां पुनर्खरीद मूल्य/बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, इकाइयों का मूल्यांकन योजना के सकल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाएगा। यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो लॉक-इन अवधि के अंत तक इनका मूल्यांकन लागत पर किया जाएगा।

(डी) वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र

i. वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र का मूल्य वहन लागत पर किया जाएगा।

(ई) ज़ीरो कूपन बॉण्ड (ज़ेडसीबी)

i. ज़ेडसीबी का मूल्य बहियों में वहन लागत पर रखा जाएगा जिसकी गणना अधिग्रहण लागत और अधिग्रहण के समय प्रचलित दर पर अर्जित छूट को जोड़कर की जाएगी,

[1] वर्तमान में विशेष प्रतिभूतियों में भारतीय स्टेट बैंक (2008 के राइट्स इश्यू के दौरान), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड और भारतीय खाद्य निगम को जारी किए गए बॉण्ड, तेल बॉण्ड, उर्वरक बॉण्ड शामिल हैं।

जिसे बाजार मूल्य के संदर्भ में बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाएगा।

ii. बाजार मूल्य की अनुपस्थिति में, जेडसीबी के वर्तमान मूल्य के संदर्भ में जेडसीबी को बाजार मूल्य के बही में अंकित किया जाएगा।

व्याख्या: ज़ेडसीबी के वर्तमान मूल्य की गणना एफआईएमएमडीए/एफबीआईएल द्वारा लगाए गए शून्य-कूपन स्प्रेड के अनुसार उचित मार्क अप के साथ 'ज़ीरो कूपन यील्ड कर्व' का उपयोग करके अंकित मूल्य में छूट देकर की जा सकती है। यदि बैंक अभी भी ज़ेडसीबी को अधिग्रहण लागत पर ले जा रहा है, तो लिखत पर अर्जित छूट को बाजार में चिह्नित करने से पहले, बॉण्ड के बुक वैल्यू में अनुमानित रूप से जोड़ा जाना चाहिए।

(एफ) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश

i. दबावग्रस्त ऋण के हस्तांतरण के एवज में एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021 दिनांक 24 सितंबर 2021 के पैरा 75-79, जो समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार किया जाएगा।

(जी) सहकारी संस्थाओं के शेयर[2]

i. सहकारी संस्थाओं के शेयरों में निवेश, जिनसे शहरी सहकारी बैंकों को नियमित रूप से लाभांश प्राप्त होता रहा है, अंकित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाएगा।

ii. शहरी सहकारी बैंक उन सहकारी संस्थाओं के शेयरों जो या तो परिसमापन में जा चुके हैं या जिन्होंने लाभांश घोषित नहीं किया है, में अपने निवेश के संबंध में पूर्ण प्रावधान करेंगे।

iii. यदि 18 महीने से अधिक समय तक सहकारी संस्थाओं का नवीनतम तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है, तो शेयरों का मूल्यांकन रु.1/- प्रति सहकारी संस्था के हिसाब से किया जाएगा।

(एच) पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2022 से उत्पन्न इक्विटी वारंट

i. इक्विटी वारंट का मूल्यांकन ₹1 प्रति वारंट के मूल्य पर किया जाएगा। जब कभी भी इक्विटी वारंट को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जाता है, मूल्यांकन बाजार द्वारा निर्धारित कीमतों पर किया जाएगा।

---

[2] यह प्रावधान शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अम्ब्रेला ऑर्गनाइजेशन (यूओ) की पूंजी के लिए योगदान के लिए लागू नहीं होगा। यूसीबी क्षेत्र के लिए यूओ के गठन के लिए विनियामक अनुमोदन पत्र डीसीबीआर.सीओ.एलएस/3679/07.12.000/2018-19 दिनांक 06 जून 2019 द्वारा प्रदान किया गया था।

अध्याय VI: सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश

12 सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन:

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन करते समय निम्नलिखित अनुदेशों का पालन किया जाएगा:

(ए) सामान्य निर्देश

i. शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिक निर्गम) द्वारा आयोजित नीलामी में भाग लेकर या (i) निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) (अनाम ऑनलाइन ट्रेडिंग) के माध्यम से द्वितीयक बाजार लेनदेन में भाग लेकर या (ii) ओवर द काउंटर (ओटीसी) और एनडीएस-ओएम पर रिपोर्ट करके या (iii) एनडीएस-ओएम-वेब और (iv) एक्सचेंज द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश/लेन-देन करके उक्त में निवेश कर सकते हैं।

ii. सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन सब्सिडियरी जनरल लेजर (एसजीएल) खाते, आरबीआई के साथ सीएसजीएल खाता खोलने के लिए पात्र संस्थाओं के साथ खोले गए गिल्ट खाते अथवा एक्सचेंज या डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/सीडीएसएल) के साथ डिमटेरियलाइज्ड खाते के माध्यम से किया जाएगा।

iii. सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन के संबंध में किसी भी परिस्थिति में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा बैंक रसीद अथवा समान रसीद जारी या स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

iv. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 24 के तहत आवश्यक सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने के उद्देश्य से, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) दिनांक 20 जुलाई 2021 पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश - 2021, जो समय-समय पर संशोधित किया गया है, का संदर्भ लिया जाए।

v. सरकारी प्रतिभूतियों में ओटीसी लेनदेन करने के दौरान, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपने लेन-देन के लिए एक प्रतिपक्ष के रूप में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक डीलर (पीडी), वित्तीय संस्थान, शहरी सहकारी बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड या भविष्य निधि की तलाश की जानी चाहिए[3]। ऐसे प्रतिपक्षों के साथ सीधे सौदे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अन्य बैंकों अथवा पीडी से कीमतों की जांच करना वांछनीय होगा जिनके पास शहरी सहकारी बैंक गिल्ट खाता रख सकता है।

(बी) एनडीएस-ओएम की सदस्यता

i. दिनांक 18 नवंबर 2011 को "डायरेक्ट एक्सेस टू निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम - ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम)" पर जारी परिपत्र संख्या आईडीएमडी.डीओडी.सं.13/10.25.66/2011-12, जो समय-समय पर संशोधित किया

---

[3] यह निर्देश एक्सचेंजों के स्क्रीन-आधारित ट्रेडिंग सिस्टम या किसी स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किए गए लेनदेन के लिए लागू नहीं होगा।

गया है, में निहित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले और लागू न्यूनतम सीआरएआर को पूरा करने वाले सभी लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंकों को निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम - ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म तक सीधी पहुंच की अनुमति है।

ii. एनडीएस-ओएम सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक पात्र शहरी सहकारी बैंक एनडीएस-ओएम सदस्यता के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) में आवेदन करने से पहले विनियामक मंजूरी के लिए पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करेंगे।

iii. शहरी सहकारी बैंक, जिनकी एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुंच नहीं है, वे एनडीएस सदस्य के पास बनाए गए गिल्ट खाते/डीमैट खाते के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में अपना लेन-देन करेंगे। गिल्ट खाता रखने वाले ऐसे शहरी सहकारी बैंक दिनांक 20 अक्टूबर 2016 के परिपत्र संख्या एफएमआरडी.डीआईआरडी.07/14.03.007/2016-17, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए प्राथमिक सदस्य (अर्थात वह संस्था जिसके पास गिल्ट खाता है) के माध्यम से वेब-आधारित एनडीएस-ओएम मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं।

(सी) सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल) खाता

i. एसजीएल खाता रखने वाले शहरी सहकारी बैंक किसी सीएसजीएल खाता धारक के साथ गिल्ट खाता नहीं खोलेंगे/रखेंगे।

(डी) गिल्ट खाता

i. गिल्ट खाता रखने वाले शहरी सहकारी बैंक अपने गिल्ट खाते का उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन के लिए करेंगे और ऐसे खाते उसी बैंक में रखे जाएंगे जिसके पास नकद खाता है।

ii. यदि शहरी सहकारी बैंकों का किसी भी पात्र गैर-बैंकिंग संस्थान में गिल्ट खाता है, तो निर्दिष्ट निधि खाते (बैंक के साथ) का विवरण उस गैर-बैंकिंग संस्थान को सूचित किया जाएगा।

(ई) सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन का निपटान

i. एसजीएल/गिल्ट खातों के माध्यम से लेनदेन के लिए, शहरी सहकारी बैंक एनडीएस/एनडीएस-ओएम पर अपने लेनदेन की रिपोर्ट/पूर्ण करेंगे और केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में सीसीआईएल के माध्यम से उनका समाधान/निपटान करेंगे। ऐसे मामलों में जहां भौतिक एसजीएल हस्तांतरण प्रपत्रों को प्रस्तुत करने के लिए अपवादों की अनुमति दी गई है, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश आईडीएमडी.पीडीआरडी.01/03.64.00/2016-17 के खंड I के पैरा 6.2, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

ii. सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक नीलामियों का निपटान दिनांक 19 सितंबर 2008 के परिपत्र संख्या आइडीएमडी.पीडीआरडी.सं.1393/03.64.00/2008-09, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार होगा। सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन का निपटान दिनांक 11 मई 2005 के परिपत्र संख्या आईडीएमडी.पीडीआरएस./4783/10.02.01/2004-05 और दिनांक 20 मार्च 2015 के परिपत्र संख्या एफएमआरडी.डीआईआरडी.06/14.03.007/2014-15, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार होगा।

iii. एसजीएल बिक्री/खरीद लेनदेन में प्रतिभूति/निधि की डिलीवरी में हुई कोई भी चूक, भले ही सीसीआईएल की प्रतिभूतियों/ निधि की कमी से निपटने की प्रक्रिया के माध्यम से पूरी की गई हो, तुरंत उसे लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को प्रस्तुत की जाएगी। एसजीएल बाउंसिंग के मामले में, शहरी सहकारी बैंकों दिनांक 14 जुलाई 2010 के परिपत्र आईडीएमडी.डीओडी.17/11.01.01(बी)/2010-11, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

iv. शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन की खरीद और बिक्री को रिकॉर्ड करने के लिए "निपटान तिथि" (सेटलमेंट डेट) लेखांकन का पालन करेंगे।

(एफ़) प्राथमिक नीलामी के माध्यम से सरकारी सुरक्षा में निवेश

i. शहरी सहकारी बैंकों के पास दिनांक 09 अप्रैल 2018 के परिपत्र संख्या आईडीएमडी.2592/08.01.01/2017-18, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए प्रतिस्पर्धी नीलामी में बोलियां प्रस्तुत करने का विकल्प होगा।

ii. शहरी सहकारी बैंकों के पास निम्नलिखित की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के माध्यम से भाग लेने का विकल्प होगा:

1. 'सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी - खुदरा निवेशकों के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा' पर भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल योजना के संदर्भ में दिनांक 23 नवंबर 2017 परिपत्र संख्या आईडीएमडी.1080/08.01.001/2017-18, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, जारी किया गया।
2. 'राज्य विकास ऋणों की नीलामी: खुदरा निवेशकों को गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा' पर योजना के संदर्भ में राज्य विकास ऋण (एसडीएल) से संबन्धित दिनांक 07 नवंबर 2019 का परिपत्र संख्या आईडीएमडी.सं.1240/10.18.049/2019-20, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, जारी किया गया।

(जी) प्राथमिक निर्गमों में आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की उसी दिन बिक्री

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक निर्गमों में आवंटित प्रतिभूतियों की बिक्री उसी दिन करने से संबन्धित दिनांक 06 अक्टूबर 2000 के परिपत्र संख्या आईडीएमसी.पीडीआरएस.सं.पीडीएस.1/03.64.00/2000-01, दिनांक 11 मई 2005 के परिपत्र संख्या आईडीएमडी.पीडीआरएस.4777/10.02.01/2004-05 और दिनांक 16 जुलाई 2012 के परिपत्र संख्या आईडीएमडी.पीडीआरडी.188/03.64.00/2012-13, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है, के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

(एच) खरीद के लिए पहले से ही अनुबंधित सरकारी प्रतिभूति की बिक्री

i. अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पास 'सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन' पर दिनांक 29 मार्च 2004 के परिपत्र आईडीएमडी.पीडीआरएस.05/10.02.01/2003-04, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के संदर्भ में खरीद के लिए पहले से अनुबंधित सरकारी प्रतिभूति को बेचने का विकल्प होगा।

(आई) सरकारी प्रतिभूतियों में लघु बिक्री

i. निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों के पास सरकारी प्रतिभूतियों में इंट्रा-डे शॉर्ट बिक्री करने का विकल्प होगा।

ए. एनडीएस-ओएम सदस्यता

बी. निवल मूल्य (नेट वर्थ) ₹25 करोड़

सी. लागू न्यूनतम सीआरएआर

डी. शुद्ध एनपीए 3% से अधिक नहीं होना चाहिए

ई. उचित जोखिम प्रबंधन प्रथाएं और

एफ. ट्रेजरी परिचालनों की समवर्ती लेखापरीक्षा (इन निर्देशों के पैरा 17.1 में यथा अपेक्षित)

ii. उपर्युक्त निर्देशों में दिए गए को छोड़कर, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2018 को जारी परिपत्र संख्या एफएमआरडी.डीआईआरडी.05/14.03.007/2018-19, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, द्वारा जारी शॉर्ट सेल (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 में निर्धारित निर्देशों का पालन करेंगे।

(जे) जारी किए जाने के आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन

i. "जारी किए जाने के आधार पर" (डब्ल्यूआई) लेनदेन करते समय, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जब लेन-देन जारी किया गया (व्हेन इश्यू ट्रांजेक्शन) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 पर 24 जुलाई 2018 को जारी परिपत्र संख्या एफएमआरडी.डीआईआरडी.03/14.03.007/2018-19, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, का पालन करेंगे।

ii. डब्ल्यूआई प्रतिभूतियों में किए गए लेन-देन का लेखाकरण निम्नानुसार होगा:

ए. प्रतिभूति जारी होने तक 'डब्ल्यूआई' प्रतिभूति को तुलनपत्र से इतर मद के रूप में बहियों में दर्ज किया जाना चाहिए।

बी. 'डब्ल्यूआई' बाजार में तुलनपत्र से इतर निवल स्थिति को दैनिक आधार पर 'डब्ल्यूआई' प्रतिभूति के दिन के समापन मूल्य पर बाजार प्रतिभूति के आधार पर बाजार मूल्य को बही में अंकित जाना चाहिए। यदि 'डब्लूआई' प्रतिभूति का मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो इसके स्थान पर अंतर्निहित प्रतिभूति के मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए और अभिमूल्यन, यदि कोई हो, को अनदेखा किया जाना चाहिए।

सी. सुपुर्द किए जाने पर, अंतर्निहित प्रतिभूति को अनुबंधित मूल्य पर धारण करने के इरादे के आधार पर तीन श्रेणियों, अर्थात; 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' या 'व्यापार के लिए धारित' में से किसी में वर्गीकृत किया जाएगा।

(के) प्रतिभूतियों का मूल्य मुक्त हस्तांतरण

i. सरकारी प्रतिभूतियों में मूल्य मुक्त हस्तांतरण (वीएफटी) दिनांक 05 अक्टूबर 2021 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस930/11.22.003/2021-22, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, द्वारा जारी 'सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य मुक्त हस्तांतरण (वीएफटी) - दिशानिर्देश' के अनुसार होगा।

(एल) एक्सचेंजों के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश

i. शहरी सहकारी बैंकों के पास रिज़र्व बैंक के साथ एसजीएल/सीएसजीएल खातों अथवा नामित संस्थाओं के साथ गिल्ट खातों के माध्यम से लेनदेन करने के मौजूदा तरीके के अलावा एक्सचेंजों के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन करने का विकल्प होगा।

ii. इस प्रयोजन के लिए, शहरी सहकारी बैंकों के पास एनएसडीएल/सीडीएसएल के बैंक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) या एसएचसीआईएल के साथ डीमैट खाता खोलने का विकल्प होगा।

iii. शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेंगे कि शहरी सहकारी बैंकों की निवेश नीति रिजर्व बैंक/सेबी और संबंधित एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार परिचालन के लिए सुविधा प्रदान करती है।

iv. एक्सचेंज ट्रेडिंग और सेटलमेंट को पूरा करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों द्वारा उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाएगी, सक्षम आईटी बुनियादी ढांचा स्थापित किया जाएगा और पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाएगी। बैक-ऑफिस व्यवस्था एनडीएस-ओएम/ओटीसी बाजार और निपटान, समाधान और प्रबंधन रिपोर्टिंग के लिए एक्सचेंजों पर व्यापार को आसानी से ट्रैक करने में सक्षम होगी।

v. शहरी सहकारी बैंक केवल सेबी पंजीकृत ब्रोकरों का उपयोग करेंगे जो इन निदेशों के पैरा 16 में दिए गए ब्रोकरों के माध्यम से किए गए लेनदेन पर दिशानिर्देशों के अधीन खरीद/बिक्री ऑर्डर देने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के लिए अनुमत एक्सचेंजों

(एनएसई/बीएसई) द्वारा अधिकृत हैं। दिन के अंत में निष्पादन के समय को इंगित करने वाला एक वैध अनुबंध नोट ब्रोकर से प्राप्त किया जाएगा।

vi. निधियों और प्रतिभूतियों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी लेन-देनों की निगरानी की जाएगी। किसी भी देरी या अपूर्णत को संबंधित एक्सचेंज/प्राधिकारियों के साथ तुरंत उठाया जाएगा।

vii. व्यापार के समय, इन निदेशों के पैराग्राफ 12(i) में दी गई अनुमति को छोड़कर, प्रतिभूतियां बैंकों के पास या तो उनके एसजीएल में या डिपॉजिटरी के डीमैट खाते में उपलब्ध होंगी।

viii. प्रतिभूतियों की गैर-सुपुर्दगी/स्पष्ट निधियों की अनुपलब्धता के कारण किसी भी निपटान की अपूर्णता को एसजीएल बाउंसिंग के रूप में माना जाएगा और एसजीएल बाउंसिंग के संबंध में वर्तमान दंड लागू होगा।

(एम) सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो/रिवर्स रेपो

i. यूसीबी द्वारा दर्ज किए गए रेपो लेनदेन (रिवर्स रेपो लेनदेन सहित) दिनांक 24 जुलाई 2018 के परिपत्र एफ़एमआरडी.डीआईआरडी.01/14.03.038/2018-19, समय-समय पर यथा संशोधित, के तहत जारी पुन:खरीद लेनदेन (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।

(एन) सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री

i. अनुसूचित यूसीबी को सरकारी प्रतिभूतियों के खुदरा व्यापार का कारोबार करने के विकल्प होंगे, बशर्तेकि:

ए. ऐसी खुदरा बिक्री एकमुश्त आधार पर होगी और बिक्री और खरीद के बीच की अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

बी. सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री द्वितीयक बाजार लेनदेन से निकलने वाली चालू बाजार दरों/प्रतिफल वक्र के आधार पर होगी।

सी. यूसीबी सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री पर आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

(ओ) पंजीकृत ब्याज और मूल प्रतिभूतियों का पृथक व्यापार (एसटीआरआईपीएस)

सरकारी प्रतिभूतियों का पृथक्करण/पुनर्गठन दिनांक 25 मार्च 2010 के दिशानिर्देश आईडीएमडी.डीओडी.07/11.01.09/2009-10, समय-समय पर यथासंशोधित, में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा, बशर्तेकि ऐसे लेनदेनों का लेखांकन और मूल्यांकन **अनुबंध I** में निहित अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय VII: गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश

13 गैर-एसएलआर लिखत

(ए) यूसीबी के पास अपने गैर-एसएलआर पोर्टफोलियो के तहत निम्नलिखित उपकरणों में निवेश करने का विकल्प होगा:

i. "ए" या समकक्ष और उच्च रेटिंग प्राप्त कॉर्पोरेट बॉण्ड।

नोट: ऊपर निर्धारित न्यूनतम रेटिंग और अवशिष्ट अवधि के लिए तुलनीय बाजार प्रतिफल के अलावा, यूसीबी डीप डिस्काउंट/जीरो कूपन बॉण्डमें निवेश नहीं करेंगे, जब तक कि जारीकर्ता सभी अर्जित ब्याज के लिए सिंकिंग फंड नहीं बनाता है और इसे तरल निवेश/प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों) में निवेश करता रहता है।

ii. "ए2" या समकक्ष और उच्च रेटिंग प्राप्त वाणिज्यिक पत्र (सीपी), और जमा प्रमाण पत्र (सीडी)

iii. डेब्ट म्यूचुअल फंड और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की इकाइयां।

नोट: यूसीबी यह सुनिश्चित करेंगे कि म्यूचुअल फंड की किसी एक योजना या किसी एक म्यूचुअल फंड में उनका असंगत एक्सपोजर न हो।

iv. सदस्यता प्राप्त करने के लिए मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों (एमआईसी) के इक्विटी शेयर।

नोट: यूसीबी द्वारा निवेश के लिए पात्र एमआईसी है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलिकम्युनिकेशन (स्विफ्ट)। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पात्र एमआईसी की सूची समय-समय पर अद्यतन की जाएगी।

v. सदस्यता प्राप्त करने के लिए यूसीबी क्षेत्र के छत्र संगठन के इक्विटी शेयर।

vi. मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021, डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 दिनांक 24 सितंबर 2021 के प्रावधानों के अनुसार दबावग्रस्त ऋणों के अंतरण के प्रतिफल के रूप में प्राप्त आस्ति पुनर्निमाण कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियाँ (एसआर)/पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी)/ अन्य प्रतिभूतियां। यूसीबी एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष निवेश नहीं करेंगे।

vii. संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) और राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के इक्विटी शेयर।

viii. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 19 के तहत अनुमत सहकारी समितियों का शेयर।

नोट: यूसीबी दिनांक 1 मार्च 1966 के परिपत्र एसीडी.बीआर.388/ए.11(19)65-6, समय-

समय पर यथा संशोधित[4], के तहत जारी 'अन्य सहकारी समितियों में शेयर धारण पर प्रतिबंध' का भी संदर्भ लेंगे।[4].

(बी) यूसीबी निम्नलिखित गैर-एसएलआर उपकरणों में निवेश नहीं करेंगे:

i. स्थायी ऋण लिखत।

ii. डेब्ट म्यूचुअल फंड और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा म्यूचुअल फंड की इकाइयां।

iii. डेब्ट म्यूचुअल फंड और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, सीपी और सीडी की इकाइयों को छोड़कर एक वर्ष से कम अवधि की मूल परिपक्वतावाले उपकरण।

iv. सहकारी क्षेत्र के अलावा अन्य निकायों और संगठनों के शेयर, जबतक कि आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी जाए।

(सी) द्वितीयक बाज़ार में गैर-एसएलआर निवेशों का अधिग्रहण/बिक्री अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, म्यूचुअल फंड, पेंशन/भविष्य निधि और बीमा कंपनियों के साथ की जा सकती है।

13.1 विवेकपूर्ण सीमा

(ए) गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश पिछले वर्ष के 31 मार्च तक बैंक की कुल जमा राशि के 10 प्रतिशत तक सीमित होगा।

(बी) गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश उपरोक्त पैराग्राफ 13 (ए) (i) और 13 (ए) (ii) में निर्धारित न्यूनतम रेटिंग के अधीन होगा और पिछले वर्ष के 31 मार्च तक बैंक की कुल गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

नोट: जहां प्रतिभूति एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने हेतु प्रस्तावित है, उनमें बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों (दोनों प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ार) में निवेश करते समय सूचीबद्ध इसे प्रतिभूति में निवेश के रूप में माना जाएगा। अगर ऐसी प्रतिभूति जारी करने और लिस्टिंग के बीच निर्धारित अवधि के भीतर सूचीबद्ध नहीं की जाती, तो गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए निर्दिष्ट 10 प्रतिशत सीमा में इसकी गणना की जाएगी। यदि गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के तहत शामिल ऐसे निवेश 10 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करता है तो बैंक गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में उसका निवेश 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर आनेतक गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों (प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों) में और निवेश नहीं करेगा।

(सी) यूसीबी के पास निम्नलिखित निवेशों के संबंध में पैराग्राफ 13.1 (ए) और 13.1 (बी) में निर्धारित सीमाओं को पार करने का विकल्प होगा:

---

[4] परिपत्र एसीडी द्वारा जारी किए गए अनुदेश। बीआर 388/ए 11 (19) 65-6 दिनांक 1 मार्च, 1966, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, **को अनुबंध II** में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

i. यूसीबी क्षेत्र और सीसीबी/एसटीसीबी की मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों (एमआईसी), छत्र संगठन (यूओ) के ईक्विटी शेयर, यदि इन संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो जाता है।

ii. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 19 के तहत अनुमत सहकारी समितियों के शेयर।

नोट: तथापि, यूसीबी पर दिनांक 1 मार्च 1966, के परिपत्र एसीडी.बीआर.388/ए.11(19)65-6, समय-समय पर यथा संशोधित[5]*, के तहत जारी 'अन्य सहकारी समितियों में शेयर धारिता पर प्रतिबंध' में निर्धारित सीमाओं का पालन करना जारी रखेंगे।*

iii. इन निदेशों के पैराग्राफ 13(ए)(vi) में उल्लेख किए गए अनुसार एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में निवेश।

iv. पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2022 से उत्पन्न पीएनसीपीएस और इक्विटी वारंट।

(डी) सभी गैर-एसएलआर निवेश निर्धारित विवेकपूर्ण एकल/समूह काउंटर पार्टी एक्सपोजर सीमा के अधीन होंगे।

13.2 कार्पोरेट बॉण्डों में रेपो

(ए) निम्न शर्तों को पूरा कर रहे अनुसूचित यूसीबी ही कार्पोरेट बॉण्डों में रेपो लेनदेन करने के पात्र होंगे।

i. लागू न्यूनतम सीआरएआर प्लस 1 प्रतिशत;

ii. 5 प्रतिशत से कम सकल एनपीए;

iii. लगातार पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान लाभ दर्ज करना; और

iv. युक्तियुक्त जोखिम प्रबंधन अभ्यास; और

निवेश संविभाग की समवर्ती लेखापरीक्षा (जैसाकि इन निदेशों के पैराग्राफ 17.1 में अपेक्षित है)।

(बी) रेपो लेनदेन करते समय, पात्र यूसीबी दिनांक 24 जुलाई 2018 के परिपत्र एफ़आरएमडी.डीआईआरडी.01/14.03.038/2018-19, समय-समय पर यथा संशोधित, के तहत जारी पुन:खरीद लेनदेन(रेपो)(रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 में दिए गए अनुदेशों का पालन करेंगे।

---

5. समय-समय पर यथासंशोधित 1 मार्च 1966 के परिपत्र एसीडी.बीआर.388/ए.11(19)65-6 द्वारा जारी निर्देश अनुबंध II में पुन: प्रस्तुत किए गए हैं।

(सी) कार्पोरेट बॉण्डों में रेपो लेनदेन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/पीडी के साथ ही किया जाएगा और किसी बाजार सहभागी के साथ नही किया जाएगा।

नोट: ऊपर पैराग्राफ 13.2(सी) में दिया गया अनुदेश एक्सचेंजों की स्क्रीन-आधारित ट्रेडिंग प्रणाली या किसी अनुमोदित इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर किए गए लेनदेनों के लिए लागू नहीं होंगे।

13.3 वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) और जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) में लेनदेन

(ए) इन निदेशों के पैराग्राफ 13(ए)(ii) में निर्धारित सीमा के अलावा, सीपी में निवेश दिनांक 10 अगस्त 2017 के परिपत्र सं.एफ़एमआरडी.डीआईआरडी.2/14.01.002/2017-18, समय-समय पर यथासंशोधित, के तहत जारी रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक पत्र निदेश, 2017 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

(बी) सीडी में निवेश दिनांक 4 जून 2021 के परिपत्र सं.एफ़एमआरडी.डीआईआरडी.03/14.01.003/2021-22, समय-समय पर यथासंशोधित, के तहत जारी मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (जमा प्रमाण पत्र) निदेश, 2021 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

13.4 कॉर्पोरेट बॉण्ड में ट्रेडिंग और निपटान

(ए) सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बॉण्डों में ट्रेडों को सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

(बी) कॉर्पोरेट बॉण्ड में सभी द्वितीयक बाजार ओटीसी ट्रेडों को व्यापार के पंद्रह मिनट के भीतर किसी भी एक्सचेंज पर सूचित किया जाएगा।

(सी) कॉर्पोरेट बॉण्डों में सभी ओटीसी ट्रेडों को समय-समय पर एनएससीसीएल, आईसीसीएल और एमसीएक्स-एसएक्स सीसीएल द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएससीसीएल) या इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईसीसीएल) या एमसीएक्स-एसएक्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमसीएक्स-एसएक्स सीसीएल) के जरिए मंजूरी और निपटान किया जाएगा।

13.5 अन्य अपेक्षाएँ

(ए) यूसीबी यह सुनिश्चित करेंगे कि आरबीआई विनियमों द्वारा रोकी गई गतिविधियों/उद्देश्यों के लिए ऋण सुविधाओं का वित्तपोषण गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश या जमाओं के प्लेसमेंट के माध्यम से नहीं किया जाता है।

(बी) यूसीबी 30 अगस्त, 2021 के वित्तीय विवरणों - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण पर मास्टर निदेश के अनुबंध III - सी.3 (डी) में उल्लिखित अनुसार गैर-एसएलआर निवेशों और गैर-निष्पादित निवेशों की जारीकर्ता-वार संरचना के विवरण का खुलासा करेंगे।

13.6 **बोर्ड की भूमिका**

(ए) बोर्ड कम से कम तिमाही अंतराल पर गैर-एसएलआर निवेश के निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा करेगा:

i. रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल व्यापार (निवेश और विनिवेश)।
ii. गैर-एसएलआर निवेश के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन।
iii. गैर-एसएलआर निवेश पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का अनुपालन।
iv. बैंक के बही-खातों में रखे गए जारीकर्ताओं/निर्गमों की रेटिंग माइग्रेशन और इसके परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में कमी आना।
v. गैर-एसएलआर श्रेणी में गैर-निष्पादित निवेशों की सीमा और उसका पर्याप्त प्रावधान।

अध्याय VIII: अन्य बैंकों / संस्थानों के साथ जमाराशि का प्लेसमेंट

14. जमाराशि का प्लेसमेंट / स्वीकृति

(ए) इन निदेशों के पैरा 14.2 में दिए गए मानदण्डों को पूरा करने वाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूचित/गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से जमा राशियां स्वीकार करने की अनुमति है।

बशर्तेकि अन्य अनुसूचित यूसीबी से अनुमति प्राप्त अनुसूचित यूसीबी द्वारा स्वीकार की गई जमा राशि बाद के बैंक को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था का हिस्सा होगी, जैसे कि समाशोधन उद्देश्यों के लिए प्रायोजक बैंक के रूप में कार्य करना, डीडी व्यवस्था, सीएसजीएल सुविधा, मुद्रा तिजोरी सुविधा, विदेशी मुद्रा लेनदेन, प्रेषण सुविधा और बैंक गारंटी (बीजी), साख-पत्र (एलसी) जैसी गैर-निधि आधारित सुविधाएं आदि।

इसके अलावा, बशर्ते कि अनुसूचित यूसीबी अन्य अनुसूचित यूसीबी जिनकी निवेश करने की प्रकृति हैं उनसे जमा स्वीकार नहीं करेंगे।

(बी) इन निदेशों के पैरा 14.2 में दिए गए मानदण्डों को पूरा करने वाले गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से जमा स्वीकार करने की अनुमति है।

बशर्ते कि अन्य गैर-अनुसूचित यूसीबी से अनुमति प्राप्त गैर-अनुसूचित यूसीबी द्वारा स्वीकार की गई जमा राशि, बाद के बैंक को समाशोधन और / या विप्रेषण सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था का हिस्सा होगी।

बशर्ते कि गैर-अनुसूचित यूसीबी अन्य गैर-अनुसूचित यूसीबी जिनकी निवेश करने की प्रकृति हैं उनसे जमा स्वीकार नहीं करेंगे।

(सी) यूसीबी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ कंपनियों / निगमों / सहकारी संस्थानों (सहकारी बैंकों के अलावा) के साथ जमा राशि नहीं रखेंगे।

(डी) यूसीबी ट्रेजरी बचत खातों में जमा के माध्यम से राज्य सरकारों के पास जमा नहीं रखेंगे।

14.1 विवेकपूर्ण सीमाएं

(ए) अंतर-बैंक (सकल) एक्सपोजर सीमा: यूसीबी द्वारा कॉल मनी/नोटिस मनी, जमाराशियाँ, अगर कुछ है सहित सभी उद्देश्यों के लिए क्लियरिंग सुविधा, सीएसजीएल सुविधा, मुद्रा तिजोरी सुविधा और बैंक गारंटी (बीजी), साख-पत्र (एलसी) आदि जैसी गैर-निधि आधारित सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष के 31 मार्च को उसकी कुल जमाराशि के 20% से अधिक नहीं होगी। वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित यूसीबी, राज्य सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों में रखे

गए जमा खातों की शेष राशि और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र, अंतर-बैंक एक्सपोजर होने के नाते, यह निवेश इस 20% सीमा में शामिल होंगे।

(बी) अंतर-बैंक प्रतिपक्ष सीमा: उपर्युक्त पैराग्राफ 14.1 (ए) में निर्धारित विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) एक्सपोजर सीमा के भीतर, यूसीबी द्वारा किसी एक बैंक में रखी गई जमा राशि पिछले वर्ष के 31 मार्च को उसकी कुल जमा राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(सी) अंतर-यूसीबी जमा सीमा: यूसीबी द्वारा स्वीकार की गई कुल अंतर-यूसीबी जमा पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को अपनी कुल जमा राशि के 10% से अधिक नहीं होगी।

14.2 यूसीबी द्वारा जमाराशि की स्वीकृति

(ए) इन निदेशों के पैरा 14 (ए) और 14 (बी) के अनुसार, निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले यूसीबी के पास अन्य यूसीबी से जमा स्वीकार करने का विकल्प होगा:

i. लागू न्यूनतम सीआरएआर प्लस 1 प्रतिशत।
ii. 7% से कम सकल एनपीए और निवल एनपीए 3% से अधिक नहीं।
iii. पिछले चार वर्षों में से कम से कम तीन के लिए निवल लाभ, बशर्ते कि ठीक पिछले वर्ष में निवल हानि न हुई हो।
iv. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में कोई चूक नहीं।
v. बोर्ड में कम से कम दो पेशेवर निदेशकों के साथ मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली।
vi. कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पूरी तरह से लागू।

(बी) वे यूसीबी जिन्होंने अन्य यूसीबी से जमाएं स्वीकार कर ली है, लेकिन बाद में उपर्युक्त पैराग्राफ 14.2 (ए) में दिए गए मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं, वे निम्नानुसार जमा राशियों को हटाएँगे:

i. वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक जमा का 10% जिसमें यूसीबी ऐसी जमाएं स्वीकार करने के लिए अपात्र हो गया, और बाद के वित्तीय वर्षों के अंत तक 40%, 70% और 100%।
ii. फेस आउट अवधि के दौरान, ऐसे यूसीबी अन्य यूसीबी से और जमाराशि स्वीकार नहीं करेंगे और न ही यूसीबी के नए जमा खाते खोलेंगे। मौजूदा जमाराशियों के नवीकरण की अनुमति ऊपर उल्लिखित फेस आउट योजना के अनुपालन के अध्यधीन दी जाती है।
iii. अगर संबन्धित यूसीबी पैराग्राफ 14.2(ए) में निर्धारित मानदंड को फिर से प्राप्त कर लेता है, तो वह यूसीबी से जमाराशि स्वीकार करने के लिए पात्र होगा और उसे फेस आउट योजना कार्यान्वित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

14.3 **यूसीबी के अंतरबैंक एक्सपोजर पर प्रावधानीकरण**

(ए) सर्वसमावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत रखे गए किसी यूसीबी में यूसीबी द्वारा अनुरक्षित जमाराशि से उत्पन्न होनेवाले अंतरबैंक एक्सपोजर और एआईडी के तहत रखे गए किसी यूसीबी द्वारा जारी एलसी के तहत आहरित रियायती बिलों से उत्पन्न होनेवाले उनके अनर्जक एक्सपोजर को 20 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 सालों के भीतर पूर्ण रूप से प्रावधानीकरण किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसी जमाराशियों पर प्राप्त होनेवाले ब्याज को यूसीबी द्वारा आय के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(बी) यदि यूसीबी ऐसी जमाराशियों को दीर्घावधि स्थायी ऋण लिखतों (उदा.,नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत - आईपीडीआई) में परिवर्तित करने को चुनता है, जिन्हें सर्वसमावेशी निदेशों के तहत यूसीबी के पुनर्गठन/पुनरुद्धार की योजना के तहत पूंजी लिखत के रूप में मान्यता दी जा सकती है, तो ऐसे लिखतों में परिवर्तित जमा राशि के हिस्से पर प्रावधान की आवश्यकता नहीं होगी।

(सी) इसके अलावा, अगर यूसीबी को किसी कमजोर राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक से जमाराशि के आहरण में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो वे ऐसे राज्य सहकारी बैंकों / केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रति अपने एक्सपोजर पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत तक का प्रावधान करेंगे। ऐसी जमाराशियों पर प्राप्य ब्याज को यूसीबी द्वारा आय के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।

नोट: पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2022 के संदर्भ में, यूसीबी इन निदेशों के पैराग्राफ 14.3 (ए) के अनुसार बकाया गैर-बीमित जमाराशियों से उत्पन्न होने वाले अंतर-बैंक एक्सपोजर पर प्रावधान करना जारी रखेंगे, जब तक कि स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयरों (पीएनसीपीएस) / इक्विटी वारंट का वास्तविक आवंटन नहीं हो जाता। पीएनसीपीएस/इक्विटी वारंटों के आवंटन के पश्चात् जमाराशियों से उत्पन्न होने वाले एक्सपोजर पर किए गए प्रावधानों को केवल तभी वापस लिया जाएगा यदि ऐसे प्रावधान पीएनसीपीएस और इक्विटी वारंटों के मूल्यांकन प्रतिपादन के कारण इनमें अधिक हानि हुई हो। *इक्विटी वारंट में निवेश पर कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। यूसीबी पीएनसीपीएस में अपने निवेश के लिए पूरी तरह से प्रावधान करेंगे। इसके अलावा, शहरी सहकारी बैंकों को पीएनसीपीएस में अपने निवेशों के लिए प्रावधान को विस्तारित करने की अनुमति है, बकाया गैर-बीमित जमाराशियों से उत्पन्न होनेवाले एक्सपोजर पर किए गए मौजूदा प्रावधानों का निवल इसप्रकार हो कि दो वित्तीय वर्षों के दौरान पूरे नुकसान का प्रावधान 31 मार्च 2024 तक पूरी तरह से कर दिया गया हो।*

14.4 जमाराशियों के प्लेसमेंट के लिए नीति

(ए) अन्य बैंकों के साथ जमाराशियों के प्लेसमेंट के लिए, शहरी सहकारी बैंक को ऊपर पैराग्राफ 14.1 में दी गई विवेकपूर्ण सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी निधि की स्थिति, तरलता और अन्य आवश्यकताओं, निधियों की लागत, प्रतिलाभ की अपेक्षित दर और ऐसी जमाराशि पर ब्याज मार्जिन, प्रतिपक्ष जोखिम, आदि को ध्यान में रखते हुए एक नीति तैयार करेंगे और अपने निदेशक मण्डल के समक्ष रखेंगे। बोर्ड कम से कम छमाही अंतराल पर स्थिति की समीक्षा करेंगे।

अध्याय IX: विवेकपूर्ण प्रणाली/नियंत्रण

15 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

(ए) यूसीबी निवेश लेनदेन के संबंध में एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित करेंगे और कम से कम, निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे:

i. (i) व्यापार, (ii) निपटान, (iii) निगरानी और नियंत्रण, और (iv) लेखांकन का एक स्पष्ट कार्यात्मक पृथक्करण होगा।

ii. बैंकों के अपने निवेश खातों और अन्य संघटक खातें, यदि कोई हो, से संबंधित व्यापार और बैक-ऑफिस कार्यों का कार्यात्मक पृथक्करण होगा।

iii. वितरण निपटान के दिन होता है, यह देखने के लिए सभी लेन-देन की निगरानी की जाएगी। दिन के कारोबार की समाप्ति से पहले निधि खाते और निवेश खाते का मिलान किया जाएगा।

iv. डील स्लिप को क्रमबद्ध रूप से क्रमांकित किया जाएगा, ठीक से हिसाब रखा जाएगा और इसमें सौदे के सभी विवरण होंगे जैसे कि प्रतिपक्ष का नाम, प्रतिभूति का विवरण, राशि, मूल्य, अनुबंध की तारीख और समय, निपटान तिथि, प्रतिपक्ष के लिए पुष्टिकरण मोड, क्या यह प्रत्यक्ष सौदा है या ब्रोकर के माध्यम से है, और यदि ब्रोकर के माध्यम से है तो, ब्रोकर का नाम, देय दलाली आदि। बैक ऑफिस द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2005 के परिपत्र सं.आईडीएमडी.सं.766/10.26.65ए/2005-06 और दिनांक 19 दिसंबर 2014 के परिपत्र एफ़एमआरडी.एफ़एमआईडी.01/14.01.02/2014-15 के अनुसार छूट दी गई आवश्यकताओं को छोड़कर प्रतिपक्ष से समय पर पुष्टि की प्राप्ति की निगरानी की जाएगी।

v. दलाल/प्रतिपक्ष से प्राप्त वास्तविक संविदा नोट का सत्यापन और प्रतिपक्ष द्वारा डील की पुष्टि के पश्चात पारित किए गए वाउचरों के आधार पर खाता बहियों को स्वतंत्र रूप से अद्यतन किया जाएगा।

vi. तिमाही में एक बार से अधिक निवेश पुस्तिका का आवधिक मिलान, रिकॉर्डिंग, सत्यापन और वाउचर पास करने की प्रक्रिया, अनुबंध सत्यापन, पोर्टफोलियो का मूल्यांकन, विवेकपूर्ण सीमाओं और जोखिम सीमाओं की निगरानी, और रद्द किए गए सौदों की निगरानी पर नियंत्रण और संतुलन रखा जाएगा। विभिन्न प्लेटफार्मों पर सौदों की रिपोर्टिंग की कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए प्रक्रियाएं और नियंत्रण लागू किए जाएंगे।

vii. इन निदेशों के पैरा 4.2(जी) के बावजूद, भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियां, यदि कोई हो, को उचित रूप से दर्ज किया जाएगा, संयुक्त अभिरक्षा के तहत रखा जाएगा और उन व्यक्तियों द्वारा त्रैमासिक सत्यापन के अधीन होगा जिनका उसकी अभिरक्षा से कोई संबंध नहीं है।

viii. एसजीएल/सीएसजीएल खाता शेष राशि को कम से कम मासिक अंतराल पर पीडीओ की

पुस्तकों में शेष राशि के साथ मिलाया जाएगा। इसी प्रकार, अन्य संस्थानों के पास दर्ज प्रतिभूतियों के संबंध में तिमाही/छमाही अंतराल पर प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएंगे। यदि लेनदेन की संख्या आवश्यक है, तो समाधान अधिक लगातार अंतराल पर किया जाना चाहिए।

ix. यह सुनिश्चित किया जाए कि स्टॉक ब्रोकर बैंकों के बोर्ड के निदेशक या किसी अन्य क्षमता में निवेश समिति के किसी मामले में या शेयरों आदि में निवेश या शेयरों के प्रति अग्रिम संबंधी निर्णयों में अपने आप को शामिल न करें।

x. मुद्रा बाजार लिखतों (कॉल/नोटिस/टर्म मनी, सीपी, सीडी, कॉर्पोरेट बॉण्ड और सरकारी प्रतिभूतियों आदि में रेपो), डेरिवेटिव्स (जहां भी अनुमति हो) और अन्य लिखतों में लेनदेन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।

xi. यूसीबी एनडीएस-ओएम पर और ओटीसी बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में ट्रेडों को निष्पादित करते समय एफआईएमएमडीए आचार संहिता का पालन करेंगे।

xii. यूसीबी अपने बोर्डों द्वारा विधिवत अनुमोदित द्वितीयक बाजार में गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के लिए आंतरिक नियंत्रण दिशानिर्देश तैयार करेंगे।

16 दलालों से सेवाएं प्राप्त करना

(ए) निम्न लिखित नियमों और शर्तों को पूरा करते हुए दलालों की सेवाएँ प्राप्त की जाएगी:

i. यूसीबी ब्रोकिंग फ़र्मों या अन्य मध्यस्थों के साथ प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल आधार पर कोई खरीद/बिक्री लेनदेन नहीं करेंगे।

ii. किसी दलाल की सेवाएँ प्राप्त करने वाले यूसीबी यह सुनिश्चित करेंगे कि दलाल की भूमिका दोनों पक्षों को एक साथ लाने तक ही सीमित हो। यूसीबी दलालों/मध्यस्थों को मुद्रा और प्रतिभूति बाजार में उनकी ओर से सौदा करने के लिए मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार नहीं देगा।

नोट: सौदे के समापन से पहले दलाल प्रतिपक्ष की पहचान का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है।

iii. निपटान प्रक्रिया में दलाल की कोई भूमिका नहीं होगी अर्थात, दोनों निधि निपटान और प्रतिभूति की आपूर्ति सीधे प्रतिपक्ष के साथ की जाएगी।

iv. यूसीबी किसी भी दलाल के साथ भौतिक रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन नहीं करेंगे।

vi. प्रतिभूतियों के अंतर-बैंक लेनदेनों में यूसीबी किसी दलाल की सेवाएँ नही लेंगे।

vii. **बशर्तेकि** उपर्युक्त प्रतिषेध नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बीएसई और एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज (एमसीएक्स-एसएक्स) के सदस्यों के माध्यम से आपस में या गैर-बैंक ग्राहकों के साथ प्रतिभूति लेनदेन करने वाले बैंकों पर लागू नहीं हो। दलालों को अपना

ऑर्डर देने से पहले डीलिंग अधिकारी स्वतंत्र रूप से बाजार में या एक्सचेंज स्क्रीन पर कीमतों की जांच करेंगे। शहरी सहकारी बैंक निर्णय लेने की प्रक्रिया दलालों को नहीं सौंपेंगे।

viii. यूसीबी यह सुनिश्चित करेंगे कि ब्रोकर नोट में सौदे का सही समय और प्रतिपक्षकार का नाम शामिल हो। उनका बैक-ऑफ़िस यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रोकर नोट और डील टिकट पर डील का समय समान है। बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनके समवर्ती लेखा परीक्षक इस पहलू का लेखा परीक्षण करें।

(बी) दलालों (ब्रोकर) का पैनल

i. शहरी सहकारी बैंक अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से दलालों का एक पैनल तैयार करेंगे, जिसकी कम से कम वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी।

ii. दलालों के पैनल में शामिल होने के मानदंड में कम से कम निम्नलिखित शामिल होंगे:

ए. सेबी पंजीकरण

बी. ऋण बाजार के लिए बीएसई/एनएसई की सदस्यता।

सी. एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित पिछले वर्ष में बाजार का कारोबार।

डी. बाजार प्रतिष्ठा आदि।

iii. यूसीबी दलाल के खिलाफ विनियामक/दंडात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, के विवरण की जांच करने के लिए सेबी/संबंधित एक्सचेंजों की वेबसाइटों की जांच करेगा।

iv. किए गए सौदों और भुगतान की गई दलाल कार्य के ब्रोकर-वार विवरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

(सी) दलालों के माध्यम से लेनदेन पर विवेकपूर्ण सीमाएं

i. समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान यूसीबी द्वारा दलालों (खरीद और बिक्री दोनों) के माध्यम से किए गए कुल लेनदेन के 5 प्रतिशत की सीमा को प्रत्येक अनुमोदित दलाल के लिए कुल ऊपरी अनुबंध सीमा के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि:

ए. समीक्षाधीन वर्ष के संदर्भ में सीमा का पालन किया जाएगा और बैंक चालू वर्ष के अपेक्षित टर्नओवर को ध्यान में रखेगा जो पिछले वर्ष के टर्नओवर और चालू वर्ष में कारोबार की मात्रा में प्रत्याशित वृद्धि या गिरावट पर आधारित होगा।

बी. प्रतिपक्षकारों के साथ सीधे किए गए लेन-देन, यानी, जहां कोई दलाल शामिल नहीं है, दलालों के माध्यम से कुल लेनदेन के लिए बाहर रखा जाएगा।

सी. यदि किसी भी कारण से किसी दलाल के लिए कुल सीमा से परे जाना आवश्यक हो जाता है, तो शहरी सहकारी बैंक इस तरह के उल्लंघन के विशिष्ट कारणों को दर्ज करेंगे और बोर्ड को कार्योत्तर सूचित किया जाएगा।

डी. रेपो लेनदेन के मामले में लेनदेन के दोनों चरणों यानी खरीद और बिक्री को कुल लेनदेन की मात्रा पर गणना हेतु शामिल किया जाएगा।

ई. 5 प्रतिशत की सीमा प्राथमिक कारोबारियों के माध्यम से बैंकों के लेन-देन पर लागू नहीं होगी।

17 लेखापरीक्षा, समीक्षा और रिपोर्टिंग

17.1 लेखापरीक्षा

(ए) ट्रेजरी कार्य अर्थात अंतर-बैंक उधारी, बिल पुनर्भुनाई, आदि सहित निवेश, निधि प्रबंधन समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन होना चाहिए और लेखापरीक्षा के परिणाम मासिक अंतराल पर यूसीबी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष रखे जाएंगे।

(बी) समवर्ती लेखापरीक्षा, कम से कम:

i. सुनिश्चित करें कि प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के संबंध में, संबंधित विभाग ने अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर कार्य किया है।

ii. सुनिश्चित करें कि बैंक द्वारा धारित निवेश, प्रत्येक तिमाही के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को और जैसा कि रिज़र्व बैंक को सूचित किया गया है, वह वास्तव में एसजीएल/सीएसजीएल/गिल्ट खाते/डीमैट खाते में या भौतिक रूप में, जहां लागू हो, उसके स्वामित्व/धारित हैं।

iii. सुनिश्चित करें कि बिक्री या खरीद लेनदेन बैंक के लिए लाभप्रद दरों पर किया जाता है।

iv. ब्रोकर सीमाओं के साथ अनुरूपता की जांच करें और उनकी आवधिक रिपोर्ट में देखी गई अधिकता को शामिल करें।

v. सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन पर निर्देशों के अनुपालन पर विशिष्ट अवलोकन, गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों पर विवेकपूर्ण सीमाएं और जमाराशियों के प्लेसमेंट पर विवेकपूर्ण सीमाएं।

नोट: समवर्ती लेखा परीक्षकों के किसी भी प्रतिकूल अवलोकन को निदेशक मंडल के समक्ष रखे गए निवेश पोर्टफोलियो की छमाही समीक्षा में भी शामिल किया जाएगा।

(सी) आंतरिक लेखापरीक्षा में निरंतर आधार पर प्रतिभूतियों में लेनदेन शामिल होगा, निर्धारित प्रबंधन नीतियों/निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी करेगा और प्रबंधन को सीधे कमियों की रिपोर्ट करेगा। आंतरिक लेखापरीक्षकों की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा की जाएगी।

(डी) पीडीओ के साथ एसजीएल/सीएसजीएल खाते की शेष राशि का मासिक समाधान, जैसा कि इन निदेशों के पैरा 15(ए)(viii) में आवश्यक है, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा समय-समय पर जांच की जाएगी और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जाएगी।

(ई) शहरी सहकारी बैंक मासिक आधार पर बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को एक्सचेंजों पर किए गए समग्र आधार पर किए गए ट्रेडों का विवरण और एक्सचेंजों पर किसी भी 'क्लोज्ड-आउट' लेनदेन का विवरण देते हुए रिपोर्ट करेंगे।

(एफ) आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणाम प्रत्येक तिमाही में एक बार निदेशक मंडल के समक्ष रखे जाएंगे।

17.2 समीक्षा/रिपोर्टिंग

(ए) यूसीबी का शीर्ष प्रबंधन सक्रिय रूप से निवेश लेनदेन की निगरानी करेगा और निवेश लेनदेन की मासिक समीक्षा करेगा। बड़े लेन-देन के विवरण सहित मासिक समीक्षा की एक प्रति माह में एक बार जानकारी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(बी) बैंक संबंधित पीडीओ को यह दर्शाते हुए कि पीडीओ के साथ एसजीएल/सीएसजीएल खातों में रखी गई शेष राशि का मिलान कर लिया गया है एक त्रैमासिक प्रमाण पत्र अग्रेषित करेंगे, और जैसा कि पैरा 17.1 (d) में इन निदेशों में अपेक्षित है इसे बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा गया है।

(सी) शहरी सहकारी बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो की अर्धवार्षिक समीक्षा (31 मार्च और 30 सितंबर तक) समीक्षा करेंगे जिसे दो महीने के भीतर यानी मई के अंत और नवंबर के अंत तक बोर्ड के सामने रखा जाएगा। समीक्षा, कम से कम, पीडीओ के साथ एसजीएल/सीएसजीएल खातों के मिलान, एसजीएल बाउंसिंग, निवेश नीति में किए गए संशोधन, सभी लेखापरीक्षा रिपोर्टों में देखी गई अनियमितताओं, अनुपालन की स्थिति और आंतरिक निवेश नीति और प्रक्रियाओं और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को निर्धारित करते हुए अनुपालन को प्रमाणित करने सहित निवेश पोर्टफोलियो के परिचालन पहलुओं को शामिल करेगी।

(डी) बोर्ड को प्रस्तुत अर्धवार्षिक समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को क्रमशः 15 जून और 15 दिसंबर तक अग्रेषित की जाएगी।

अध्याय X: लेखापरीक्षा और प्रावधानीकरण

18. आय निर्धारण

(ए) शहरी सहकारी बैंक निम्नलिखित के लिए उपचयी आधार पर आय की पहचान करेंगे:
i. सरकारी प्रतिभूतियां और कॉर्पोरेट बांड, जहां लिखतों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित हैं, बशर्ते कि ब्याज नियमित रूप से चुकता हो और बकाया न हो।

ii. कॉरपोरेट निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियां जिनके संबंध में ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती की गारंटी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई है, जहां लिखतों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित हैं, बशर्ते कि ब्याज नियमित रूप से चुकाया जाता है और स्पष्टत: बकाया नहीं हो।

iii. कॉर्पोरेट/सहकारी संस्थानों के शेयर; बशर्ते कॉर्पोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया गया हो और स्वामित्व का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया गया हो।

(बी) म्युचुअल फंड की इकाइयों (ऋण म्युचुअल फंड और मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड) से आय को नकद आधार पर दर्ज किया जाएगा।

(सी) सरकारी प्रतिभूतियों और अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, शहरी सहकारी बैंक विक्रेता को भुगतान की गई खंडित अवधि के ब्याज को लागत के हिस्से के रूप में नहीं भुनाएंगे बल्कि इसे लाभ और हानि खाते के तहत व्यय की एक मद के रूप में मानेंगे।
नोट: यह लेखा संव्यवहार कर निहितार्थों को ध्यान में नहीं रखता है और शहरी सहकारी बैंक आयकर प्राधिकारियों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

19 निवेश अस्थिरता रिजर्व (आईएफ़आर)

19.1 आईएफ़आर की निर्मिति और न्यूनतम आवश्यकता

(ए) यूसीबी बैंक के मौजूदा लाभ में से 'एएफएस' या 'एचएफटी' श्रेणियों के तहत किए गए निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान करेंगे (यानी, इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित करें) और इसे "निवेश मूल्यह्रास रिजर्व (आईडीआर)"6 रूप में दिखाएं।

[6] इन निदेशों के पैरा 19.2(सी)(i) को भी देखें।

(बी) ऐसी स्थिति में, जैसा कि ऊपर पैरा 19.1 (ए) में वर्णित है, जहां निवेश में मूल्यह्रास के कारण आईडीआर बनाया गया है, और किसी भी वर्ष में अपेक्षित राशि से उसे अधिक पाया जाता है, तो उसे अतिरिक्त लाभ और हानि में जमा किया जाएगा खाता और एक समतुल्य राशि (करों का निवल, यदि कोई हो, और इस तरह के अतिरिक्त प्रावधान के लिए सांविधिक रिजर्व में अंतरण का निवल) आईएफ़आर खाते में विनियोजित किया जाएगा।
(सी) उपरोक्त पैरा 19.1(बी) में दिए गए प्रावधान के अलावा, यूसीबी निवल लाभ की उपलब्धता के अधीन निवेश की बिक्री पर प्राप्त लाभ में से आईएफआर का निर्माण करेगा।
(डी) यूसीबी निवेश पोर्टफोलियो का न्यूनतम 5 प्रतिशत आईएफआर बनाए रखेंगे। इस न्यूनतम आवश्यकता की गणना एचएफटी और एएफएस श्रेणियों में निवेश के संदर्भ में की जाएगी। यूसीबी, अपने विवेक से, अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से, अपने पोर्टफोलियो के आकार और संरचना के आधार पर आईएफ़आर का उच्च प्रतिशत रख सकते हैं।
(ई) शहरी सहकारी बैंक प्रतिभूतियों में निवेश की बिक्री से प्राप्त लाभ की अधिकतम राशि को आईएफआर में तब तक हस्तांतरित करेंगे जब तक कि यह 5 प्रतिशत की न्यूनतम आईएफआर आवश्यकता को पूरा नहीं करता। आईएफआर में स्थानांतरण वैधानिक रिजर्व के विनियोग के बाद शुद्ध लाभ के विनियोग के रूप में होगा।
(एफ) आईएफआर टीयर II पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र होगा।
(जी) यूसीबी यह सुनिश्चित करेंगे कि निवेश पोर्टफोलियो के मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ को आय खाते या आईएफआर में नहीं लिया गया है।

19.2 आईएफ़आर से ड्रा डाउन (निकासी)

(ए) यूसीबी अपने विवेक से, एएफएस और एचएफटी में अपने निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक आईएफआर में उपलब्ध शेष राशि को लाभ / हानि के शेष में जमा करने के लिए किसी भी लेखा वर्ष के अंत में लाभ और हानि खाते में प्रकटीकरण कर सकते हैं। आईएफ़आर से इस तरह के ड्रा डाउन का उपयोग प्रतिभूतियों में निवेश पर मूल्यह्रास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
(बी) यदि आईएफआर में शेष एएफएस और एचएफटी में निवेश के 5 प्रतिशत से कम है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन ड्रॉ डाउन की अनुमति दी जाएगी:
i. आहरित राशि का उपयोग केवल न्यूनतम टीयर I पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुक्त रिज़र्व में विनियोग के माध्यम से या हानि के शेष को कम करने के लिए किया जाता है, और
ii. आहरित राशि उस सीमा से अधिक नहीं है जिस तक पूर्वोक्त वर्ष के दौरान किए गए एमटीएम प्रावधान उस वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ से अधिक हो।

(सी) लेखा सिद्धांत

i. यदि किसी भी वर्ष में 'एएफएस' या 'एचएफटी' श्रेणियों के तहत निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के कारण आईडीआर बनाने की आवश्यकता है (जैसा कि उपरोक्त पैरा 19.1 (ए) में बताया गया है) तो इसे लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाएगा और समकक्ष राशि (कर लाभ का निवल, यदि कोई हो, और सांविधिक रिजर्व में स्थानांतरण में परिणामी कमी का निवल) या निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफ़आर) खाते में उपलब्ध शेष राशि, जो भी कम हो, आईएफ़आर खाते से लाभ और हानि खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

ii. मूल्यह्रास प्रावधान के लिए लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई राशि और लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त प्रावधान को बदलने के लिए जमा की गई राशि (जैसा कि ऊपर पैरा 19.1 (ए) और 19.1 (बी) में कहा गया है) को "व्यय - प्रावधान और आकस्मिकताएँ" शीर्ष में क्रमशः डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा।

iii. लाभ और हानि खाते/आईएफ़आर से विनियोजित राशि, और निवेश पर मूल्यह्रास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईएफ़आर से लाभ और हानि खाते में हस्तांतरित राशि को वर्ष के लिए लाभ का निर्धारण करने के बाद 'लाइन से नीचे' असाधारण मद के रूप में दिखाया जाएगा।

नोट: जैसा कि ऊपर पैरा 19.1(बी) और 19.1(सी) में वर्णित है, आईएफ़आर निवल लाभ के विनियोग या अतिरिक्त आईडीआर के उत्क्रमण से बनाया गया है। आईडीआर लाभ और हानि खाते में निवेश के मूल्य में कमी को प्रभारित करके बनाया गया प्रावधान है। जबकि आईएफ़आर में रखी गई राशि को तुलनपत्र में इस तरह दिखाया जाना चाहिए, कि आईडीआर में रखी गई राशि को निवेश में मूल्यह्रास के बदले आकस्मिक प्रावधान के रूप में रिपोर्ट किया जाए।

20 गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई)

(ए) प्रतिभूतियों के संबंध में जहां ब्याज / मूलधन बकाया है, यूसीबी प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करेंगे और निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान भी करेंगे। शहरी सहकारी बैंक इन अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास आवश्यकता को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्य वृद्धि के लिए सेट-ऑफ नहीं करेंगे।

(बी) किसी आस्ति को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड का उपयोग अनर्जक निवेश (एनपीआई) के रूप में निवेश को वर्गीकृत करने के लिए किया जाएगा, अर्थात एनपीआई तभी माना जाएगा जहां ब्याज / किश्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान रहित रहता है।

(सी) इन निदेशों के पैरा 11.3(जी)(iii) के अनुसार नवीनतम वित्तीय स्थिति की अनुपलब्धता के कारण जहां सहकारी संस्थाओं के शेयरों में निवेश का मूल्य प्रति संस्थान 1 रुपये

है, उन शेयरों को एनपीआई माना जाएगा।

(डी) यदि जारीकर्ता द्वारा प्राप्त की गई कोई क्रेडिट सुविधा बैंक की बहियों में एनपीए के रूप में दर्ज़ है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में से किसी में निवेश को भी एनपीआई और इसके विपरीत माना जाएगा

(ई) इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड आदि में मूलधन और/या ब्याज के रूपांतरण के मामले में, ऐसे लिखतों को ऋण के रूप में उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में शुरू से ही एनपीए के रूप में माना जाएगा, यदि ऋण का वर्गीकरण खराब या संदिग्ध है तो पुनर्रचना पैकेज के कार्यान्वयन पर और मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा।

(एफ) सरकार द्वारा गारंटीकृत निवेश

i. जब ब्याज/मूलधन की किस्त (परिपक्वता आय सहित) या बैंक को देय कोई अन्य राशि 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान न की गई हो, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश, एनपीआई की पहचान और प्रावधानीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड लागू होंगे।

ii. केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड में यूसीबी के निवेश को एनपीआई के रूप में तब तक वर्गीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि गारंटी इनवोक करने पर केंद्र सरकार द्वारा उसे अस्वीकार नहीं कर दिया हो। हालांकि, एनपीआई के रूप में वर्गीकरण से यह छूट आय की पहचान के उद्देश्य के लिए नहीं है।

अध्याय XI: विविध

21 निरसन प्रावधान

इन निदेशों के जारी होने के साथ, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी **अनुबंध III** में उल्लिखित परिपत्रों में निहित अनुदेश/दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं। उपरोक्त परिपत्रों में दिए गए सभी अनुदेश/दिशानिर्देश इन निर्देशों के तहत दिए गए माने जाएंगे। उक्त निरस्त परिपत्रों के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों/दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं में किसी भी संदर्भ का निरसन की तारीख के बाद मतलब इन निदेशों का संदर्भ होगा, अर्थात्, भारतीय रिजर्व बैंक (प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2023 कहलाएगा। इस तरह के निरसन के बावजूद, एतद्द्वारा निरस्त किए गए परिपत्रों के तहत की गई, कथित तौर पर की गई या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उक्त परिपत्रों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होती रहेगी।

अनुबंध I

[पैरा 12(o)]

पंजीकृत ब्याज और प्रमुख प्रतिभूतियों का अलग व्यापार (स्ट्रिप्स)

लेखापरीक्षा और मूल्यांकन

1. इन निदेशो में निर्धारित तरीके से स्ट्रिप्स का मूल्यांकन और हिसाब शून्य कूपन बॉन्ड के रूप में किया जाएगा।

2. शुरुआत में स्ट्रिप्स के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली छूट की दरें बाजार आधारित होंगी। हालांकि, यदि ट्रेडेड शून्य-कूपन दरें उपलब्ध नहीं हैं, तो इसके बजाय एफ़बीआईएल द्वारा प्रकाशित शून्य कूपन प्रतिफल का उपयोग किया जाएगा।

3. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के परिणामस्वरूप एसजीएल खातों में लेखांकन प्रविष्टियां अंकित मूल्य पर पारित की जाएंगी। स्ट्रिपिंग के लिए अनुरोध करने वाले प्रतिभागी के एसजीएल खाते को सरकारी प्रतिभूति के अंकित मूल्य से डेबिट किया जाएगा और साथ ही साथ कूपन स्ट्रिप्स के समग्र अंकित मूल्य (समग्र कूपन राशि के बराबर) के साथ-साथ मूल स्ट्रिप्स के अंकित मूल्य (सरकारी प्रतिभूति के अंकित मूल्य के बराबर)[7] के साथ क्रेडिट किया जाएगा।

4. स्ट्रिपिंग के दिन, स्ट्राइप्स को प्रतिभागी के खाते की बहियों में उनके रियायती मूल्य पर मान्यता दी जाएगी और साथ ही, संबंधित सरकारी प्रतिभूति की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। पुनर्गठन के लिए लेखांकन प्रणाली स्ट्रिपिंग के ठीक विपरीत होगा। स्ट्रिप्स के लेखांकन की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है।

4.1 स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन से कोई लाभ या हानि नहीं होगी। ज़ीरो कूपन यील्ड कर्व (ज़ेडसीवाईसी) का उपयोग करके छूट प्राप्त स्ट्रिप्स (कूपन के साथ-साथ मूलधन) का वर्तमान मूल्य एक ऐसे फैक्टर का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा जो प्रतिभूति से सृजित सभी स्ट्रिप्स के बाजार मूल्य का कुल योग प्रतिभूति[8] के बही मूल्य या बाजार मूल्य (जो भी कम हो) का अनुपात होगा।

4.2 बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो की एएफएस/एचएफटी श्रेणी के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को स्ट्रिप कर सकते हैं।

---

7. सरकारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों पर दिनांक 25 मार्च 2010 के परिपत्र सं.आईडीएमडी.डीओडी.07/11.01.09/2009-10 के अनुबंध 3 में दिए गए उदाहरण का संदर्भ लें।

8. सरकारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों पर दिनांक 25 मार्च 2010 के परिपत्र सं. आईडीएमडी.डीओडी.07/11.01.09/2009-10 के अनुबंध 4 में दिए गए उदाहरण का संदर्भ लें।

4.3 यदि एचटीएम पोर्टफोलियो में धारित प्रतिभूतियों से स्ट्रिप्स का निर्माण किया जाता है, तो इन निदेशों के अनुसार प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद, बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो कम होगा उसका उपयोग अलग-अलग स्ट्रिप्स के बाजार मूल्य को बही मूल्य/बाजार मूल्य पर सामान्य बनाने के लिए किया जाएगा। स्ट्रिपिंग के बाद, मौजूदा प्रतिभूतियों के बही मूल्य/बाजार मूल्य को अमान्य कर दिया जाएगा और स्ट्रिप्स के सामान्यीकृत मूल्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसका कुल योग समाप्त हुई प्रतिभूति के बही मूल्य/बाजार मूल्य के बराबर होगा (इस प्रकार यह सुनिश्चित करना कि स्ट्रिपिंग के कारण कोई लाभ या हानि नहीं है))। एचटीएम से प्रतिभूति को स्थानांतरित करने के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी अभिवृद्धि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। एएफएस/एचएफटी पोर्टफोलियो से स्ट्रिपिंग की गई प्रतिभूतियों के लिए भी यही कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी।

4.4 (i) किसी प्रतिभूति को स्ट्रिप करने से पहले, इसे बाजार के लिए चिह्नित किया जाएगा। मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को मान्यता दी जाएगी, बशर्ते बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है। इस तरह के मूल्यह्रास को एएफएस/एचएफटी श्रेणी के तहत निवेश के निवल मूल्यह्रास/मूल्य वृद्धि पर पहुंचने के उद्देश्य से नहीं जोड़ा जाएगा। प्रतिभूति का बही मूल्य/बाजार मूल्य, जो भी कम हो, का उपयोग स्ट्रिप्स को सामान्य बनाने के लिए किया जाएगा।

(ii) सामान्यीकरण सिद्धांत, स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन पर प्रतिभूति के नए मूल्य (उपचित ब्याज पर विचार किए बिना) पर लागू किया जाएगा क्योंकि उपार्जित ब्याज को आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

(iii) पुनर्गठन के मामले में भी सामान्यीकरण लागू किया जाएगा (बाजार से स्ट्रिप्स के अधिग्रहण किए जाने की स्थिति में भी)।

(iv) स्ट्रिप्स (जेडसीबी) का बही मूल्य इन निदेशों के अनुसार मूल्यांकित और बाजार मूल्य पर अंकित किया जाएगा। तदनुसार, स्ट्रिप्स का बही मूल्य एमटीएम से पहले अर्जित ब्याज की सीमा तक चिह्नित किया जाएगा।

अनुबंध II

[पैरा 13(ए)(viii) और 13.1(सी)(ii)]

अन्य सहकारी समितियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध

1. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर लागू अनुसार) (बीआर अधिनियम, 1949 (एएसीएस)) की धारा 19 में यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी सहकारी बैंक किसी अन्य सहकारी समिति में इस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन जो भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है, शेयर नहीं रखेगा। हालांकि, खंड में निहित निदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होते है -

1.1 उस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों के माध्यम से अर्जित शेयर।

1.2 किसी केंद्रीय सहकारी बैंक के मामले में, राज्य सहकारी बैंक में शेयरों की धारिता जिससे वह संबद्ध है; और

1.3 किसी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) के मामले में, उस केंद्रीय सहकारी बैंक में शेयर रखता है जिससे वह संबद्ध है या उस राज्य के राज्य सहकारी बैंक में जिसमें वह पंजीकृत है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने निर्दिष्ट किया है कि सहकारी बैंक की किसी अन्य सहकारी समिति में शेयर रखने की सीमा और शर्तें निम्नानुसार होंगी:

2.1 उपर्युक्त पैरा 1.1 से 1.3 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सहकारी संस्थानों के शेयरों में किसी सहकारी बैंक का कुल निवेश, इसके स्वामित्व वाली निधियों के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा (प्रदत्त चुकता शेयर पूंजी और रिज़र्व)।

2.2 उपर्युक्त पैरा 2.1 के अंतर्गत आने वाले किसी सहकारी संस्था के शेयरों में बैंक का निवेश उस संस्था की अभिदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

नोट: *जब एक से अधिक सहकारी बैंक पैरा 2.1 के तहत आने वाली सहकारी समिति में शेयरों में योगदान करते हैं, तो ऊपर बताई गई अभिदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत की सीमा प्रत्येक बैंक के निवेश के संबंध में लागू नहीं होगी,बल्कि एक साथ सभी बैंकों के निवेश के संबंध में लागू होगी। दूसरे शब्दों में, सभी सहकारी बैंकों का कुल निवेश संबंधित उद्यम की सदस्यता वाली पूंजी के 5 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए।*

2.3 किसी सहकारी बैंक को ऊपर पैरा 2.1 के अंतर्गत आने वाली एक सहकारी समिति के शेयरों में ही अपना योगदान तभी करना चाहिए, जब प्राप्तकर्ता सोसाइटी के उपनियम इसके द्वारा योगदान की जाने वाली शेयर पूंजी की परिपक्वता के लिए निदेश प्रदान करते हैं।

2.4 उक्त पैरा 2.1 के तहत आने वाले किसी भी सोसायटी के शेयरों में बैंक द्वारा योगदान की गई शेयर पूंजी की विलगता सहकारी वर्ष से शुरू होने वाली 10 समान वार्षिक किस्तों में उस वर्ष जिसमें व्यवसाय या उत्पादन में कठिनाइयां आरंभ हो जाती है, के तुरंत बाद पूरी की जानी चाहिए।

2.5 किसी सहकारी बैंक को, रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना, ऊपर पैरा 2.1 में विनिर्दिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आने वाली कोई सोसाइटी यदि वह अपने परिचालन क्षेत्र के बाहर स्थित है तो उसके शेयर पूंजी में योगदान नहीं करना चाहिए,।

2.6 उक्त प्रतिबंध सहकारी बैंकों द्वारा गैर-लाभकारी सहकारी समितियों में शेयरों की धारिता पर लागू नहीं होंगे जैसे आपसी हितों की सुरक्षा के लिए गठित, (उदा., सहकारी बैंक संघ) या सहकारी शिक्षा आदि के प्रचार के लिए, (उदा., राज्य सहकारी संघ), या आवास सहकारी समितियों को स्वामित्व के आधार पर परिसर प्राप्त करने के उद्देश्य से, आदि।

अनुबंध III

[पैरा 21]

इन निदेशों द्वारा निरस्त किए गए परिपत्रों की सूची

S. No.	परिपत्र	दिनांक	विषय
1.	एसीडी.आईडी (डीसी) 1799/आर.36/79/80	10-01-1980	7 वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बॉण्ड की सदस्यता/खरीद
2.	एसीडी.आईडी (डीसी)) 1800/आर.36-79/80	10-01-1980	7 वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड की सदस्यता/खरीद के संबंध में निदेश
3.	यूबीडी.पी&ओ.1121/यूबी.-63-83/84	01-06-1984	केंद्र राज्य सरकार के ऋणों में बैंकों का अपना निवेश-दलाली का भुगतान
4.	यूबीडी.सं.डीसी.597/आर.41-84/85	31-10-1984	7% पूंजी निवेश बांड
5.	यूबीडी.सं.बीआर.1866/ए.12(19)-87/88	13-06-1988	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनियों/निगमों/सहकारी संस्थाओं में जमाराशियों के रूप में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निधियों का निवेश
6.	यूबीडी.सं.बीआर.1918/ए12(19)-87/88	27-06-1988	प्राथमिक सहकारी बैंकों पर सहकारी क्षेत्र के अलावा अन्य संस्थानों में शेयर रखने पर प्रतिबंध
7.	यूबीडी.सं.प्लान.13/यूबी.81/92-93	15-09-1992	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन
8.	यूबीडी.सं.प्लान.74/यूबी.81-92/93	17-05-1993	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन
9.	यूबीडी.सं.3/09.29.00/93-94	02-08-1993	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन - व्यक्तिगत दलालों के लिए कुल अनुबंध सीमा - स्पष्टीकरण
10.	परिपत्र यूबीडी.21/12:15:00/93-94 के परिशिष्ट के पैरा 4.3 से 4.11	21-09-1993	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी और कदाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए समिति
11.	यूबीडी.सं.प्लान.51/09.29.00/93-94	20-01-1994	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन - एसजीएल ट्रांसफर फॉर्म का बाउंस होना - लगाए जाने वाले दंड:

S. No.	परिपत्र	दिनांक	विषय
12.	यूबीडी.सं.प्लान (पीसीबी).परि.56/09.29.00/93-94	11-02-1994	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेन-देन।
13.	यूबीडी.बीआर.परि.72/16.20.00/93-94	16-05-1994	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनियों में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निधियों का निवेश
14.	अनुच्छेद (बी) और परिपत्र यूबीडी.सं.आई&एल.86/12.05.00/93-94 के अनुबंध	28-06-1994	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले
15.	यूबीडी.बीआर.10/पीसीबी(परि)/16.20.00/9495	01-08-1994	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनियों में प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा निधियों का निवेश
16.	यूबीडी.बीआर.प्लान.पीसीबी.14/09.80.00/94-95	24-08-1994	तैयार वायदा लेनदेन
17.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.29/09.80.00/94/95	09-11-1994	तैयार वायदा लेनदेन
18.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.32/09.29.00/94-95	24-11-1994	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेन-देन - बैंक रसीदें / दलालों की भूमिका
19.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.44/09.80.00/94-95	18-02-1995	तैयार वायदा लेनदेन
20.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.निदेश.11/09.80.00/94-95	31-03-1995	तैयार वायदा लेनदेन
21.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.48/09.80.00.94-95	31-03-1995	तैयार वायदा लेनदेन
22.	यूबीडी.सं.बीआर.परि.53/16.20.00/94-95	24-04-1995	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनियों में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निधियों का निवेश
23.	यूबीडी.सं.आई&एल(पीसीबी) 61/12.05.00/94-95 का पैरा 5	06-06-1995	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - निवेश का मूल्यांकन और अन्य
24.	यूबीडी.सं.बीआर.1/16.20.00/94-95	08-07-1995	राज्य सरकार के पास जमा

S. No.	परिपत्र	दिनांक	विषय
25.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.2/09.80.00/95-96	14-07-1995	तैयार वायदा लेनदेन
26.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.निदेश.2/09.80.00/95-96	14-07-1995	तैयार वायदा लेनदेन
27.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.4/09.80.00/95-96	29-07-1995	तैयार वायदा लेनदेन
28.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.निदेश.4/09.80.00/95-96	29-07-1995	तैयार वायदा लेनदेन
29.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.8/09.80.00/95-96	26-08-1995	तैयार वायदा लेनदेन
30.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.निदेश .5/09.80.00/95-96	26-08-1995	तैयार वायदा लेनदेन
31.	यूबीडी.सं.पीसीबी.11/09.80.00/95-96	07-09-1995	तैयार वायदा लेनदेन
32.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.निदेश.6/09.80.00/95-96	07-09-1995	तैयार वायदा लेनदेन
33.	यूबीडी.सं.पीसीबी.13/09.80.00/95-96	18-09-1995	तैयार वायदा लेनदेन
34.	यूबीडी.सं.पीसीबी.निदेश.7/09.80.00/95-96	18-09-1995	तैयार वायदा लेनदेन
35.	यूबीडी.सं.प्लान.16/09.80.00/95-96	29-09-1995	तैयार वायदा लेनदेन
36.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.निदेश.9/09.80.00/95-96	29-09-1995	तैयार वायदा लेनदेन
37.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.18/09.80.00/95-96	29-09-1995	सरकार और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाएं (रेपो)।
38.	यूबीडी.सं.पीसीबी.निदेश.11/09.80.00/95-96	12-10-1995	तैयार वायदा लेनदेन
39.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.20/09.80.00/95-96	12-10-1995	तैयार वायदा लेनदेन
40.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.निदेश.14/09.80.00/95-96	27-11-1995	तैयार वायदा लेनदेन
41.	यूबीडी.सं.पीसीबी.31/09.80.00/95-96	27-11-1995	तैयार वायदा लेनदेन

S. No.	परिपत्र	दिनांक	विषय
42.	यूबीडी.सं.पीसीबी.निदेश.15/09.80.00/ 95-96	06-12-1995	तैयार वायदा लेनदेन
43.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.32/09.80.00/ 95-96	06-12-1995	तैयार वायदा लेनदेन
44.	यूबीडी.सं.पीसीबी.निदेश.16/09.80.00/ 95-96	03-01-1996	तैयार वायदा लेनदेन
45.	यूबीडी.सं.पीसीबी.34/09.80.00/95-96	03-01-1996	तैयार वायदा लेनदेन
46.	यूबीडी.सं.पीसीबी.निदेश.20/09.80.00/ 95-96	08-02-1996	तैयार वायदा लेनदेन
47.	यूबीडी.सं.पीसीबी.42/09.80.00/95-96	08-02-1996	तैयार वायदा लेनदेन
48.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.47/09.60.00/ 95-96	29-02-1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश
49.	यूबीडी.सं.पीसीबी.निदेश.22/09.80.00/ 95-96	01-03-1996	तैयार वायदा लेनदेन
50.	यूबीडी.सं.पीसीबी.48/09.80.00/95-96	01-03-1996	तैयार वायदा लेनदेन
51.	यूबीडी.सं.बीआर.परि.52/16.20.00/95 -96	16-03-1996	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनियों में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निधियों का निवेश
52.	यूबीडी.सं.पीसीबी.56/09.80.00/95- 96	30-03-1996	तैयार वायदा लेनदेन
53.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.निदेश.23/09.8 0.00/95-96	30-03-1996	तैयार वायदा लेनदेन
54.	यूबीडी.सं.पीसीबी.61/09.80.00/95- 96	18-04-1996	तैयार वायदा लेनदेन
55.	यूबीडी.सं.पीसीबी निदेश.27/09.80.00/95-96	18-04-1996	तैयार वायदा लेनदेन
56.	यूबीडी.सं.पीसीबी.66/09.80.00/95- 96	03-06-1996	तैयार वायदा लेनदेन
57.	यूबीडी.सं.पीसीबी.निदेश.28/09.80.00/ 95-96	03-06-1996	तैयार वायदा लेनदेन

S. No.	परिपत्र	दिनांक	विषय
58.	परिपत्र यूबीडी.सं.आई&एल(पीसीबी) 68/12.05.00/95-96 का पैरा (iii)	10-06-1996	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - स्पष्टीकरण
59.	यूबीडी.सं.प्लान /पीसीबी/69/09.29.00/95-96	21-06-1996	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेन-देन
60.	यूबीडी.सं.पीसीबी.निदेश.1/09.80.00/96-97	02-07-1996	तैयार वायदा लेनदेन
61.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी/4/09.80.00/96-97	15-07-1996	तैयार वायदा लेनदेन
62.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.7/09.60.00/96-97	19-07-1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्रों में निवेश
63.	यूबीडी.सं.पीसीबी.निदेश.6/09.80.00/96-97	26-07-1996	तैयार वायदा लेनदेन
64.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.9/09.80.00/96-97	26-07-1996	तैयार वायदा लेनदेन
65.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.19/09.29.00/96-97	11-09-1996	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - अप्रयुक्त बी.आर. फॉर्म की अभिरक्षा और नियंत्रण के लिए प्रणाली
66.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.सं.30/09.82.00/96-97	27-11-1996	भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) की इकाइयों में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश
67.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.34/09.29.07/96-97	30-12-1996	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो प्रतिभूतियों में लेनदेन
68.	यूबीडी.सं.पीसीबी.निदेश.18/09.80.00/96-97	13-01-1997	तैयार वायदा लेनदेन
69.	यूबीडी.सं.पीसीबी.निदेश.36/09.80.00/96-97	13-01-1997	तैयार वायदा लेनदेन
70.	परिपत्र यूबीडी.सं.आई&एल(पीसीबी)42/12.05.00/96-97 का पैरा II	20-03-1997	विवेकपूर्ण मानदंड - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले

S. No.	परिपत्र	दिनांक	विषय
71.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.56/09.60.00/96-97	06-06-1997	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश
72.	यूबीडी.सं.परि.1/09.80.00/97-98	21-07-1997	तैयार वायदा लेनदेन
73.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.3/09.80.00/97-98	21-07-1997	तैयार वायदा लेनदेन
74.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.परि.19/09.29.00/97-98	10-11-1997	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेन-देन - दलालों की भूमिका
75.	यूबीडी.सं. प्लान.पीसीबी/परि.21/09.60.00/97-98	11-11-1997	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश
76.	यूबीडी.सं.प्लान.एसयूबी.सं.17/09.83.00/97-98	19-11-1997	मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स/सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित सांख्यिकीय डेटा
77.	यूबीडी.सं.बीएसडी.I (पीसीबी) 22/12.05.00/97-98	26-11-1997	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश का मूल्यांकन
78.	यूबीडी.सं.परि.8/09.80.00/97-98	05-12-1997	तैयार वायदा लेनदेन
79.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.परि/26/09.80.00/97-98	05-12-1997	तैयार वायदा लेनदेन
80.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.निदेश.13/09.80.00/97-98	31-12-1997	प्रतिवर्ती तैयार वायदा लेनदेन
81.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.परि.33/09.80.00/97-98	31-12-1997	प्रतिवर्ती तैयार वायदा लेनदेन
82.	यूबीडी.सं.बीपी.37/16.20.00/97-98	29-01-1998	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश - निवेश का मूल्यांकन
83.	यूबीडी.सं.प्लान.एसयूबी.20/09.81.00/97-98	19-02-1998	सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री
84.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी/परि56/09.60.00/97-98	13-05-1998	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश

S. No.	परिपत्र	दिनांक	विषय
85.	यूबीडी सं.61/16.20.00/97-98	04-06-1998	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनियों में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निधियों का निवेश
86.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.65/09.80.00/97-98	30-06-1998	तैयार वायदा लेनदेन
87.	यूबीडी.सं.बीआर.1/16.20.00/98-99	10-07-1998	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश - निवेश का मूल्यांकन -यूएस- 64 इकाइयाँ
88.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.निदेश.2/09.80.00/98-99	17-08-1998	तैयार वायदा लेनदेन
89.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.निदेश.3/09.80.00/98-99	17-08-1998	प्रतिवर्ती तैयार वायदा लेनदेन
90.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.परि.6/09.80.00/98-99	17-08-1998	तैयार वायदा लेनदेन
91.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.परि.7/09.80.00/98-99	17-08-1998	प्रतिवर्ती तैयार वायदा लेनदेन
92.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.9/09.80.00/98-99	30-10-1988	सरकार और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में तैयार वायदा लेनदेन(रेपो)
93.	यूबीडी.सं.बीएसडी.I/पीसीबी.15/12.05.01/98-99	06-01-1999	सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का अधिग्रहण - खंडित अवधि ब्याज - लेखा प्रक्रिया
94.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.परि.4/09.80.00/98-99	06-02-1999	तैयार वायदा लेनदेन
95.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.परि /19/09.80.00/98-99	06-02-1999	तैयार वायदा लेनदेन
96.	यूबीडी.सं.बीआर.26/18.20.00/98-99	07-04-1999	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनियों में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निधियों का निवेश
97.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.परि.7/09.80.00/98-99	29-06-1999	तैयार वायदा लेनदेन
98.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.परि /33/09.80.00/98-99	29-06-1999	तैयार वायदा लेनदेन

S. No.	परिपत्र	दिनांक	विषय
99.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.04/09.80.00/ 99-2000	25-08-1999	तैयार वायदा लेनदेन
100.	यूबीडी.प्लान.18/09.80.00/1999-2000	30-12-1999	राज्य सरकार के ऋणों में बैंकों का अपना निवेश - दलाली कमीशन का भुगतान
101.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.परि.5/09.80.00/99-2000	11-01-2000	तैयार वायदा लेनदेन
102.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.परि /20/09.80.00/99-2000	11-01-2000	तैयार वायदा लेनदेन
103.	परिपत्र यूबीडी.सं.बीएसडी.पीसीबी/25/12.05.05/99-2000 का पैरा 2 और 3	28-02-2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले
104.	यूबीडी.सीओ.प्लान.पीसीबी.निदेश /6/09.80.00/99-2000	28-03-2000	तैयार वायदा लेनदेन
105.	यूबीडी..प्लान.पीसीबी.परि /26/09.80.00/99-2000	28-03-2000	तैयार वायदा संविदाएं
106.	परिपत्र यूबीडी.सीओ.सं.बीएसडी-I.पीसीबी(परि.)34/12.05.05/99-2000 का पैरा 2, 3 और अनुबंध	24-05-2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और निवेश का मूल्यांकन
107.	यूबीडी.सं.प्लान.पीसीबी.परि/22/09.29.00/ 2000-2001	30-12-2000	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेन-देन - दलालों की भूमिका
108.	यूबीडी.सं.पीओटी.परि.पीसीबी.39/09.29.00/2000	18-04-2001	प्राथमिक निर्गमों की नीलामी में आवंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री
109.	यूबीडी.सं.43/16.20.00/2000-01	19-04-2001	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अन्य संस्थाओं और अन्य शहरी सहकारी बैंकों में जमाराशियों के रूप में निधियों का निवेश
110.	यूबीडी.सं.सीओ. बीएसडी-I.पीसीबी.44/12.05.05/2000-2001	23-04-2001	बैंकों द्वारा निवेश के वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश
111.	यूबीडी.सं.पीओटी. पीसीबी.परि./14/09.80.00/2001-02	08-10-2001	तैयार वायदा संविदाएं

S. No.	परिपत्र	दिनांक	विषय
112.	परिपत्र यूबीडी.सं.बीएसडी./22/12-05-05/2001 का पैरा II	12-11-2001	आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान
113.	यूबीडी.सं.पीओटी.पीसीबी.परि./23/09.80.00/2001-02	06-12-2001	तैयार वायदा संविदाएं
114.	यूबीडी.प्लान.पीसीबी.परि.सं.41/09.29.00/2001-02	20-04-2002	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो-प्रतिभूतियों में लेनदेन
115.	यूबीडी.प्लान.एससीबी.परि.सं.10/09.29.00/2001-02	26-04-2002	शहरी बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
116.	यूबीडी.पीसीबी.परि.सं.46/09.29.00/2001-02	06-06-2002	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेन-देन
117.	यूबीडी.बीआर.सं.47/16.26.00/2001-02	07-06-2002	यूसीबी द्वारा सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
118.	यूबीडी.सीओ.पीओटी.पीसीबी.परि.सं.48/09.29.00/2001-02	11-06-2002	बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों के धारण का प्रमाणन
119.	यूबीडी.पीओटी.सं.49/09.80.00/2001-02	17-06-2002	तैयार वायदा संविदाएं
120.	यूबीडी.पीओटी.पीसीबी.परि.सं.5/09.29.00/02-03	22-07-2002	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन
121.	यूबीडी.पीओटी.पीसीबी.परि.सं.06/09.29.00/2002-03	06-08-2002	यूसीबी का निवेश पोर्टफोलियो - सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
122.	यूबीडी.सं.बीआर.परि.19/16.26.00/2002-2003	29-10-2002	पीएसयू बॉन्ड का अमूर्तिकरण
123.	यूबीडी.बीपीडी.एसपीसीबी.सं.9/09.29.00/2002-03	27-01-2003	सरकारी ऋणों के लिए समाधान प्रक्रिया
124.	यूबीडी.बीपी.सं.35/16.26.00/2002-03	18-02-2003	द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की कीमतें
125.	यूबीडी.बीपीडी..पीसीबी.परि.सं.39/09.29.00/2002-03	13-03-2003	शेयर बाजार पर सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार
126.	यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.सं44/09.80.00/2002-03	12-05-2003	रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए एकसमान लेखांकन के लिए दिशानिर्देश

S. No.	परिपत्र	दिनांक	विषय
127.	यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.46/16.20.00/2002-03	17-05-2003	गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा राशियों को अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में रखना
128.	यूबीडी.पीसीबी.56/09.29.00/2003-04	02-07-2003	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो-प्रतिभूतियों में लेनदेन
129.	यूबीडी.बीपीडी.परि.सं.1/09.11.00/2003-04	08-07-2003	सरकारी प्रतिभूति लेनदेन के संबंध में निपटान - भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के माध्यम से अनिवार्य निपटान
130.	यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.2/09.80.00/2003-04	08-07-2003	भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना
131.	यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.परि.8/9.2900/2003-04	16-08-2003	शेयर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार
132.	यूबीडी.बीपीडी.परि.सं.11/09.29.00/2003-04	02-09-2003	यूसीबी का निवेश पोर्टफोलियो - निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन
133.	यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.परि.12/09.29.00/2003-04	04-09-2003	यूसीबी का निवेश पोर्टफोलियो - निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व के लिए दिशानिर्देश
134.	यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.21/16.26.00/2003-04	21-10-2003	पीएसयू बांड रखने के लिए डीमैट खाता खोलने की अनुमति
135.	यूबीडी.सं.बीपीडी.पीसीबी.परि.26/16.20.00/2003-04	02-12-2003	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के शेयरों में निवेश
136.	यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.परि.33/09.11.00/2003-04	11-02-2004	सीएसजीएल खातों का रखरखाव
137.	यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.परि35/13.05.00/2003-04	27-02-2004	एनएससीबी द्वारा मजबूत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पास जमाराशियां रखना
138.	यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.परि.42/09.11.00/2003-04	01-04-2004	सीएसजीएल खातों का रखरखाव
139.	यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.परि.44/09.29.00/2003-04	12-04-2004	प्राथमिक निर्गमों की नीलामी में आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की उसी दिन बिक्री।

S. No.	परिपत्र	दिनांक	विषय
140.	यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.परि.45/16.20.00/2003-04	15-04-2004	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश
141.	यूबीडी.बीपीडी.एसयूबी.परि.5/09.80.00/2003-04	28-04-2004	सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन (डीवीपी III)
142.	यूबीडी.सं.पीसीबी.सं5/16.20.00/2004-05	22-07-2004	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की सूची
143.	यूबीडी.पीसीबी.परि.सं.6/12.05.01/2004-05	28-07-2004	गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा पात्र अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में जमाराशियों का नियोजन
144.	यूबीडी.सं.एसयूबी.परि.2/09.80.00/2004-05	19-08-2004	सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन - डीवीपी III निपटान का तरीका
145.	यूबीडी.सं.पीसीबी.परि.16/16.20.00/2004-05	02-09-2004	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन
146.	यूएसबी.बीपीडी.सं.37/12.05.01/2004-05	26-02-2005	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - रिपोर्टिंग प्रणाली
147.	यूबीडी.बीपीडी.सं: 41/16.20.000/2004-05	28-03-2005	शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का निवेश पोर्टफोलियो- निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन
148.	यूबीडी(पीसीबी)/परि.49/09.80.00/2004-05	20-06-2005	तैयार वायदा संविदाएं - यूसीबी
149.	यूबीडी(पीसीबी)/परि.50/09.80.00/2004-05	20-06-2005	सरकारी प्रतिभूति लेनदेन - टी + 1 निपटान - यूसीबी
150.	यूबीडी.बीपीडी.सं: 51/09.80.00/2004-05	20-06-2005	प्राथमिक निर्गमों में आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री - शहरी सहकारी बैंक
151.	यूबीडी.बीपीडी.सं: 41/16.20.000/2005-06	29-03-2006	शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का निवेश पोर्टफोलियो - निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन
152.	यूबीडी.बीपीडी.सं: 7/09.29.000/2006-07	18-08-2006	सरकारी प्रतिभूतियों में 'जब जारी' लेनदेन

S. No.	परिपत्र	दिनांक	विषय
153.	यूबीडी बीपीडी.सं:14/16.20.00/07-08	18-09-2007	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश
154.	यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी).सं:56 /16.20.000/07-08	17-06-2008	भारत सरकार द्वारा जारी गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का मूल्यांकन
155.	यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी).सं 47/16.20.000/08-09	30-01-2009	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा जमाराशियों को अन्य बैंकों में रखना
156.	यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी).सं 46/16.20.000/08-09	30-01-2009	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश
157.	यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.27/16.20.000/2009-10	03-12-2009	यूसीबी द्वारा निवेश पर मास्टर परिपत्र - शुद्धिपत्र
158.	यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.62/16.20.000/2009-10	30-04-2010	इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों में लगी कंपनियों द्वारा जारी बॉन्ड में निवेश का वर्गीकरण
159.	यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.63/16.20.000/2009-10	04-05-2010	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा असूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश
160.	यूबीडी.केका.बीएसडी/पीसीबी.परि./68/12.22.351/2009-10	07-06-2010	समाशोधन सुविधा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशियों को अन्य बैंकों में रखना
161.	यूबीडी.(पीसीबी).परि.सं.34/09.80.00/2010-11	18-01-2011	निवेश के लिए लेखांकन प्रक्रिया - निपटान दिनांक लेखा
162.	यूबीडी.(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.36/16.20.000/2010-11	18-02-2011	जीरो कूपन बांड में निवेश पर विवेकपूर्ण मानदंड
163.	यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी).सं.17/12.05.001/2011-12	03-01-2012	तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) - ऑर्डर मैचिंग (ओएम) - यूसीबी को सदस्यता प्रदान करना
164.	यूबीडी.बीपीडी (एससीबी).सं.4/16.20.000/2012-13	10-06-2013	कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाएं
165.	यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.9/09.29.000/2013-14	04-09-2013	सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन - इंट्रा-डे शॉर्ट सेलिंग

S. No.	परिपत्र	दिनांक	विषय
166.	यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.36/16.20.000/2013-14	01-11-2013	शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का निवेश पोर्टफोलियो वर्गीकरण, मूल्यांकन और प्रावधान
167.	यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.58/16.20.000/2013-14	07-05-2014	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में निवेश
168.	डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.8/16.20.000/2015-16	19-11-2015	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा जमाराशियों को अन्य बैंकों में रखना
169.	डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी)परि.सं.1/16.20.000/2018-19 (केवल यूसीबी के लिए निरस्त)	06-07-2018	बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - सहकारी बैंकों द्वारा एमटीएम घाटे का प्रसार और निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफआर) का निर्माण
170.	डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.002/21.04.141/2018-19 (केवल यूसीबी के लिए निरस्त)	27-07-2018	बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - राज्य विकास ऋणों का मूल्यांकन
171.	डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.02/16.20.000/2018-19	16-08-2018	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश - द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिए स्वीकृत प्रतिपक्ष
172.	डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.10/16.20.000/2018-19	10-06-2019	परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों की बिक्री - लेखांकन निष्पादन
173.	विवि.(पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.11/16.20.000/2019-20	20-04-2020	सर्व समावेशी निदेशों के तहत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अंतर बैंक जोखिम पर प्रावधान
174.	विवि.आरईसी.एमआरजी.90/16.20.000/2021-22	03-03-2022	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा छत्र संगठन (यूओ) में निवेश

S. No.	परिपत्र	दिनांक	विषय
175.	विवि.एमआरजी.आरईसी.46/00-00-011/2022-23	10-06-2022	पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2022- अंतरबैंक एक्सपोजर पर प्रावधान और बेमियादी गैर-संचयी वरीयता शेयरों (पीएनसीपीएस) और इक्विटी वारंट का मूल्यांकन